



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 55]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 20, 2013/फाल्गुन 1, 1934

No. 55]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 20, 2013/PHALGUNA 1, 1934

## भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 2013

सं. 11-134/2012-यूनानी (न्यूनतम मानक).— भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का 48) की धारा 36 के खण्ड (त्र) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, भारत सरकार की पूर्व अनुमति से निम्न विनियम बनाती है, अर्थातः—

#### 1. संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारम्भः—

- (1) इन विनियमों को भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (यूनानी महाविद्यालयों एवं संलग्न अस्पतालों के न्यूनतम मानक आवश्यकताएं) विनियम, 2013 कहा जायेगा।
- (2) ये राजपत्र अधिसूचना में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

#### 2. परिभाषाः—

- (1) इन विनियमों में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—
  - (क) 'अधिनियम' से भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का 48) अभिप्रेत है।
  - (ख) 'कॉलेज' से यूनानी महाविद्यालय या संस्थान जिसमें यूनानी का स्नातकीय पाठ्यक्रम संचालित किया जा रहा है या प्रस्तावित है, अभिप्रेत है।
  - (ग) 'संलग्न अस्पताल' से यूनानी महाविद्यालय से संलग्न शिक्षण यूनानी अस्पताल अभिप्रेत है।
- (2) यहाँ पर प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्ति जो यहाँ परिभाषित नहीं हैं, परन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, का अभिप्राय अधिनियम में उनके लिए दिए गए अर्थ से होगा।

### 3. न्यूनतम मानक आवश्यकताएं:-

- (1) अधिनियम की धारा 13 क के अधीन स्थापित यूनानी कॉलेज एवं धारा 13ग के अधीन वर्तमान यूनानी कॉलेज एवं उनसे संलग्न अस्पताल, विनियम 4 से 11 में निर्दिष्ट बुनियादी ढांचे एवं शिक्षण और प्रशिक्षण सुविधाओं के न्यूनतम मानक आवश्यकताओं को आगामी शैक्षणिक वर्ष में प्रवेश करने हेतु अनुमति प्राप्त करने के लिए 31 दिसम्बर, 2014 तक पूरा करेंगे।
  - (2) यदि कॉलेज 31 दिसम्बर, 2014 तक इन अधिसूचित विनियमों के अनुसार आवश्यकताओं को पूरा कर लेता है, उसे प्रवेश करने हेतु पांच वर्ष की अवधि से अधिक अनुमति नहीं दी जायेगी, जिसके लिए आकस्मिक जांच जो किसी शिकायत के प्राप्त होने पर, के अतिरिक्त या जब तक केन्द्र सरकार या भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा आवश्यक नहीं समझा जाए, कॉलेज का निरीक्षण नहीं किया जायेगा। केन्द्रीय परिषद् अनुमति समाप्त होने की अवधि से तीन माह पूर्व कॉलेज का परिदर्शन करेगी।
  - (3) सशर्त अनुमति केवल उन्हीं कॉलेजों को दी जायेगी जो भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 का 15 मई, 2013 के पश्चात् शैक्षणिक वर्ष 2013-14 और 31 दिसम्बर, 2013 के पश्चात् शैक्षणिक वर्ष 2014-15 हेतु अलग से किए गए निरीक्षण के आधार पर कम से कम अनुसूची V में उल्लिखित शिक्षकों की आवश्यकता को, विनियम 7 के उपविनियम (2) में उल्लिखित क्रियाशील अस्पताल का एवं अनुसूची-VII में उल्लिखित उपकरण की उपलब्धता को पूरा करते हैं, ऐसे सशर्त अनुमति प्राप्त कॉलेजों को या उन कॉलेजों को जिन्हें अनुमति से इन्कार कर दिया गया, शैक्षणिक वर्ष 2013-14 और/या 2014-15 हेतु, 31 दिसम्बर, 2014 तक विनियमों में उल्लिखित वांछित आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। शैक्षणिक वर्ष 2013-14 हेतु वर्तमान यूनानी कॉलेजों में अनुसूची II में यथा अनुबंधित 7 से 14 शिक्षण विभागों की बढ़ोत्तरी वैकल्पिक है परंतु शैक्षणिक वर्ष 2014-15 से अनिवार्य होगी।
  - (4) समस्त विद्यमान कॉलेज, जो विनियमों में उल्लिखित आवश्यकताओं को 31 दिसम्बर, 2014 तक पूर्ण रूप से पूरा करने में असमर्थ रहते हैं, उन्हें शैक्षणिक वर्ष 2015-16 से आगे अनुमति नहीं दी जायेगी और ऐसे कॉलेजों के आवेदन, धारा 13क एवं 13ग के अधीन रद्द किये जायेंगे एवं अलग से अधिनियम की धारा 21 के अनुसार उनके विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी। जो कि सशर्त अनुमति अथवा अस्वीकृति के संबंध में विचाराधीन रहे हैं।
4. भूमि की आवश्यकता:- इन विनियमों के अधीन 60 सीटों की प्रवेश क्षमता वाले मेडीकल कॉलेज एवं संलग्न अस्पताल एवं अन्य आधारीक संरचना के निर्मित भवन कम से कम तीन एकड़ के एक प्लॉट पर उपलब्ध हो। 61 से 100 सीटों की प्रवेश की क्षमता हेतु भूमि पांच एकड़ से कम नहीं हो और दो प्लॉट से अधिक नहीं हो एवं उनकी दूरी 2 किलोमीटर से अधिक नहीं हो। प्लॉट यदि सड़क या नहर या नाले के कारण अलग हो लेकिन एक पुल से जुड़े हों तो भूमि का एक ही टुकड़ा समझा जायेगा। कुल निर्माण क्षेत्र, अनुमेय तल क्षेत्र अनुपात(एम.ए.आर.) या फ्लोर स्पेस इंडेक्स (एफएसआई) सक्षम प्राधिकारी या स्थानीय कानूनों या नियमों द्वारा दी गई अनुमति पर आधारित होगा। केन्द्र सरकार की अनुमति के लिए आवेदन करते समय स्थानीय नगर निगम का अधिकारिक प्रमाण पत्र जो यह प्रमाणित/अनुमोदित करता हो कि भवनों का निर्माण एवं उनका निर्माण क्षेत्र अनुसूची-1 एवं अनुसूची-II के अनुसार है एवं यह भवन भूमि के टुकड़े में निर्मित हो सकते हैं, संलग्न होना चाहिए। भूमि कॉलेज के स्वामित्व में होनी चाहिए या न्यूनतम 99 वर्ष की अवधि के लिए कॉलेज के नाम पर पट्टे पर होनी चाहिए अथवा

सम्बन्धित राज्य सरकार या संघ राज्य के नियमों—विनियमों के अनुसार अधिकतम अनुमति अवधि के पट्टे पर होनी चाहिए तथापि अनुमति का नवीकरण पट्टे की समाप्ति पर आवश्यक होगा। भूमि का विस्तार तथा स्वामित्व 7 नवम्बर, 2003 से पूर्व स्थापित कॉलेजों के लिए लागू नहीं है परन्तु सक्रिय पट्टे की अवधि के अंत में ऐसे कॉलेजों को या तो अपनी निजी भूमि रखनी होगी या फिर इसे पट्टे पर न्यूनतम 99 वर्ष की अवधि के लिए अथवा सम्बन्धित राज्य सरकार या संघ राज्य के नियमों—विनियमों के अनुसार अधिकतम अनुमति अवधि के पट्टे पर प्राप्त करना होगा।

**स्पष्टीकरण—** तल क्षेत्र अनुपात (एफएआर) या फ्लोर स्पेस इंडेक्स (एफएसआई) उस स्थान की भूमि के आकार के लिए इमारतों की कुल तल क्षेत्र अनुपात है या इस तरह के एक अनुपात पर लगायी सीमा है।

**5. न्यूनतम निर्मित क्षेत्र की आवश्यकता:—**

(1) साठ छात्रों तक की भर्ती हेतु प्रत्येक कॉलेज एवं संलग्न निर्मित क्षेत्र दो हजार वर्ग मीटर होगा और इकसठ से एक सौ छात्रों तक चार हजार और तीन हजार एवं पांच सौ वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र कमशः कॉलेज एवं संलग्न अस्पताल के लिए होगा। अनुसूची—I एवं अनुसूची—II में विनिर्दिष्ट विवरणानुसार कॉलेज एवं अस्पताल के भवनों का निर्माण अलग—अलग किया जाना चाहिए। कॉलेज एवं अस्पताल के अलग—अलग भवन की आवश्यकता इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि के बाद स्थापित हाने वाले कॉलेजों पर लागू होगी।

(2) कॉलेज को सुचारू रूप से कार्य करने हेतु, अन्य आवश्यक आधारीक संरचनाएं जैसे कॉलेज एवं अस्पताल के कर्मचारी हेतु पर्याप्त आवास, बाह्य एवं अन्तरंग खेलों की सुविधा, नागरिक एवं बिजली की सेवाएं और कार्यशाला, कॉलेज एवं अस्पताल के परिसर के अन्दर पर्याप्त गाड़ी—स्थान के रख रखाव का भी पालन करना होगा। वनौषधि उद्यान का न्यूनतम क्षेत्र अनुसूची—III में विहित अनुसार होना चाहिए।

**6. प्रवेश क्षमता:—** स्नातक पाठ्यक्रम की वार्षिक प्रवेश क्षमता साठ एवं एक सौ के स्तर में होगी। यदि किसी भी कॉलेज में साठ से कम या इकसठ और एक सौ सीटों की प्रवेश क्षमता है, उसे अनुसूची—I से अनुसूची—VII तक में वर्णित कमशः साठ एवं एक सौ सीटों की आवश्यकताओं का पालन करना होगा।

**7. शिक्षण अस्पताल की आवश्यकताएं:—**

(1) शिक्षण अस्पताल, अस्पताल स्थापित करने और संचालित करने हेतु सम्बन्धित राज्य या स्थानीय प्राधिकरण की सभी सांविधिक आवश्यकताओं को पूरा करेगा और ऐसी अनुमति या निकासी की अद्यतन प्रमाणित प्रतियां केन्द्रीय सरकार और केन्द्रीय परिषद् को प्रस्तुत करेगा। सम्बन्धित राज्य सरकार या संघ राज्य सरकार ऐसे आवेदक कॉलेजों को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने से पूर्व ऐसे अनुमति या निकासी की उपलब्धता को सत्यापित करेगी।

(2) शय्याओं की आवश्यकता, शय्या अधिभोग और बाह्य रोगी विभाग उपस्थिति:— स्नातकीय पाठ्यक्रम हेतु छात्रों का अनुपात शय्याओं की संख्या के साथ, अंतरंग रोगी विभाग का शय्या अधिभोग एवं बाह्य रोगी विभाग की उपस्थिति कमशः 1:1, 40 प्रतिशत एवं 1:2, जैसा कि निम्न तालिका में दिया गया है, के अनुसार होगा। सामान्य वार्ड में दो शय्याओं के बीच की दूरी डेढ़ (1½) मीटर से कम नहीं होनी चाहिए।

## तालिका-I

प्रवेश क्षमता प्रति वर्ष	अन्तरंग रोगी विभाग में 1:1 छात्र शय्या अनुपात पर न्यूनतम शय्याओं की संख्या	गत एक कैलेंडर वर्ष के दौरान अन्तरंग रोगी विभाग में प्रतिदिन रोगियों की न्यूनतम औसत संख्या (365 दिन) (40 प्रतिशत शय्या अधिभोग)	गत एक कैलेंडर वर्ष के दौरान बाह्य रोगी विभाग में प्रतिदिन रोगियों की न्यूनतम औसत संख्या (300 दिन) (1:2 छात्र-रोगी अनुपात)
60 छात्र	60 शय्या	24	120
61 से 100 छात्र	100 शय्या	40	200

- (3) बाह्य रोगी विभाग एवं अन्तरंग रोगी विभाग के रोगियों की उपस्थिति के अभिलेख का रखरखाव:- कॉलेज एवं अस्पताल बाह्य रोगी विभाग एवं अन्तरंग रोगी विभाग के रोगियों का अभिलेख कम्प्यूटरीकृत केन्द्रीय पंजीकरण प्रणाली से रखरखाव करेगा तथा कॉलेज, विभागानुसार बहिरंग विभाग और अन्तरंग विभाग का अभिलेख, प्रयोगशाला और रेडियोलोजीकल जांच प्रतिवेदन, औषधि वितरण पंजिका, अंतरंग रोगी विभाग के रोगियों की आहार पंजिका, अस्पताल कर्मचारीवृन्द की ड्यूटी पंजिका, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र इत्यादि विनियम के उप-विनियम (2) में उल्लिखित प्रतिमानों को पूर्ण करने हेतु एवं यूनानी, अस्पताल के भी कार्यशीलता की यथार्थता हेतु करेगा।
- (4) स्थान आवश्यकता:- पूर्ण रूप से संचालित अस्पताल को बहिरंग एवं अंतरंग विभाग के अतिरिक्त स्वागत, रोगी प्रतीक्षा क्षेत्र, औषधि कक्ष, मरहम पट्टी कक्ष, नैदानिक प्रयोगशाला, रेडियोलोजी अनुभाग, रसोई, सेवाकक्ष, चिकित्सा अभिलेख कक्ष, इलाज बित तदबीर चिकित्सा अनुभाग, शल्य कक्ष, प्रसव कक्ष, भण्डार, स्त्री एवं पुरुष अलग-अलग वार्ड, चिकित्सकों, नर्सों एवं अन्य कर्मचारियों हेतु ड्यूटी कक्ष के समावेश हेतु उपयुक्त क्षेत्र युक्त होना चाहिए तथा संलग्न अस्पताल के निर्मित क्षेत्र की सुनिश्चितता अनुसूची-I के अनुसार होगी।
- (5) बाह्य रोगी विभाग:- अस्पताल में न्यूनतम निम्न 6 बाह्य रोगी विभाग होंगे:-
- मुआलाजात (मेडीसिन)
  - जराहत एवं ऐन-उज्ज-अन्फ-हलक व असनान (शल्य एवं नेत्र, आंख, कान, नाक हलक और दंत चिकित्सा सम्मिलित है)
  - कबालत वा अमराज-ए-निस्वां (ओ.बी.जी)
  - अमराज-ए-अतफाल (बालरोग)
  - अमराज-ए-जिल्द व ताजीनियत (त्वचा एवं कास्मेटोकॉलोजी)
  - तहफफुजी वा सामाजी तिब्ब (समुदाय चिकित्सा)

**टिप्पणी :-** उपरोक्त के अतिरिक्त इलाज बिद तदबीर का एक अलग विभाग होगा।

(6) अन्तरंग रोगी विभाग:—अन्तरंग रोगी विभाग में पुरुष एवं स्त्री वार्ड अलग होंगे और शय्या वितरण निम्न प्रकार होगा:—

अन्तरंग विभाग	वितरण	60 शय्या	100 शय्या
मुआलाजात इलाज बिद तदबीर, अमराज-ए-ज़िल्द वा तज़ीनियत को सम्मिलित करते हुए	50% शय्या	30	50
जराहत ऐन, उज़्ज, अन्फ हलक व असनान को सम्मिलित करते हुए	25% शय्या	15	25
कबालत वा अमराज-ए-निस्वां अतफाल को सम्मिलित करते हुए	25% शय्या	15	25

(7) तशखीस अमराज (क्लिनिकल रोग निदान एवं जांच हेतु नैदानिक प्रयोगशाला): अस्पताल के बाह्यरोगी एवं अंतः रोगी विभाग से निर्दिष्ट किये गये रोगियों पर नैत्यक, रोगात्मक, जैव रासायनिक तथा रक्त संबंधी जांच एवं यूनानी नैदानिक तकनीकों को कार्यान्वित करने हेतु अस्पताल में अनुसूची-I, अनुसूची-IV, अनुसूची-V, अनुसूची-VII में यथा विनिर्दिष्ट उचित आधारभूत संरचना एवं जनशक्ति सहित एक नैदानिक प्रयोगशाला होगी।

(8) अस्पताल के कर्मचारी: साठ शय्याओं वाले अस्पताल के लिए न्यूनतम स्टाफ की आवश्यकता अनुसूची-IV के अनुसार होगी एवं शय्याओं के बढ़ाने के अनुपात में स्टाफ की बढ़ोतरी भी करनी होगी।

#### 8. कॉलेज के लिए आवश्यकताएं—

(1) शिक्षण स्टाफ: अनुसूची-V में विनिर्दिष्ट प्रत्येक स्लैब हेतु मॉडर्न मेडीसिन (आधुनिक चिकित्सा) के आठ अंश कालिक शिक्षकों के अतिरिक्त साठ छात्रों तक की प्रवेश क्षमता हेतु नियमित आधार पर नियुक्त न्यूनतम तीस पूर्णकालिक शिक्षक तथा इकसठ से सौ तक की प्रवेश क्षमता हेतु न्यूनतम पैतालिस पूर्णकालिक शिक्षक होंगे।

(2) शिक्षकों की सेवा निवृत्ति की आयु: शिक्षकों की सेवा निवृत्ति की आयु केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या उस विशिष्ट संस्थान में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पहले से लागू मानकों के अनुसार होगी तथा शिक्षकों की पात्रता के मानक पूर्ण करने वाले सेवा निवृत्त शिक्षकों को पूर्ण कालिक शिक्षक के रूप में पैंसठ वर्ष की आयु तक पुर्ननियुक्त किया जा सकता है।

(3) तकनीकी एवं अन्य स्टाफ की आवश्यकता: महाविद्यालय की विभिन्न इकाइयों तथा विभागों में तकनीकी तथा अन्य स्टाफ अनुसूची-VI में दिये गये विवरणानुसार होगा।

#### 9. विविध आवश्यकताएं—

(1) कार्यालय सहायता: अधिष्ठाता, चिकित्सा अधीक्षक तथा प्रत्येक विभाग को स्वतंत्र कम्प्यूटर एवं प्रिंटर सुविधा प्राप्त होगी।

(2) कॉलेज परिषद्: (क) प्रत्येक चिकित्सा महाविद्यालय अथवा चिकित्सा संस्था में एक कॉलेज परिषद् होगी जिसमें विभागों के अध्यक्ष सदस्य के रूप में तथा प्राचार्य या अधिष्ठाता अध्यक्ष के रूप में समाविष्ट हों। (ख) पाठ्यक्रम तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम का विवरण तैयार करने, अनुशासन पर बल देने तथा अन्य शैक्षणिक मामलों के लिए वर्ष में कम से कम चार बार परिषद् की बैठक की जायेगी। (ग) परिषद्

द्वारा संस्था में नियमित रूप से आवधिक अनुसंधान पुनरीक्षण के साथ-साथ अन्तरविभागीय बैठकें जैसे मुख्य दौरे, सांख्यिकीय बैठकें तथा नैदानिक बैठकें भी आयोजित की जायेंगी।

- (3) **कॉलेज की वेबसाइट:** प्रत्येक कॉलेज अथवा संस्थान की उसकी अपनी वेबसाइट होगी जिस पर प्रत्येक माह के पहले सप्ताह में अद्यतन किया गया निम्नलिखित विवरण उपलब्ध कराया जायेगा
- (क) निदेशक अथवा अधिष्ठाता अथवा प्रधानाचार्य एवं चिकित्सा अधीक्षक का विवरण जिसमें उसका नाम, आयु, पंजीकरण संख्या, अर्हता, कार्यग्रहण की तारीख, दूरभाष या मोबाइल संख्या सहित उनका पूरा पता तथा स्टेट ट्रंक डायलिंग (एस.टी.डी.) कोड, फैंक्स तथा ई-मेल इत्यादि हों।
- (ख) फोटोग्राफ, पंजीकरण संख्या, जन्मतिथि, अर्हता, अनुभव, विभाग इत्यादि के साथ शिक्षण स्टॉफ का विवरण।
- (ग) कॉलेज का गैर शिक्षण स्टॉफ तथा चिकित्सालय स्टॉफ का विवरण विभाग सहित।
- (घ) स्नातकीय एवं स्नातकोत्तर के विभिन्न पाठ्यक्रमों की स्वीकृत प्रवेश क्षमता का विवरण।
- (ङ) चालू एवं गत वर्ष के लिए प्रवेश प्राप्त छात्रों की योग्यता के आधार पर एवं श्रेणी (स्नातकीय एवं स्नातकोत्तर) के आधार पर सूची।
- (च) पिछले एक वर्ष के दौरान कोई शोध प्रकाशन।
- (छ) संस्था द्वारा आयोजित सतत किसी चिकित्सा शिक्षा (सी.एम.ई) कार्यक्रम, सम्मेलन तथा/अथवा किसी शैक्षणिक गतिविधियों का विवरण।
- (ज) छात्रों एवं संकाय द्वारा प्राप्त किये गये किसी पुरस्कार एवं उपलब्धि का विवरण।
- (झ) सम्बद्ध विश्वविद्यालय तथा इसके कुलपति तथा कुल सचिव का विवरण।
- (ञ) पिछले एक वर्ष की सभी परीक्षाओं का परिणाम।
- (ट) सभी पाठ्यक्रमों की मान्यता की ब्यौरेवार स्थिति एवं
- (ठ) चिकित्सालय में नैदानिक सामग्री का विवरण।
- (4) **बॉयोमेट्रिक उपस्थिति:** शिक्षण, गैर शिक्षण कॉलेज के स्टॉफ तथा चिकित्सालय के स्टॉफ हेतु वेबकैमरा सहित कम्प्यूटरीकृत उपस्थिति पद्धति पर आधारित बॉयोमेट्रिक उपस्थिति रखना वांछनीय है।
10. **नए कॉलेज की चरण वार विशिष्ट आवश्यकताएं -**
- (1) अधिनियम की धारा 13 क के प्रावधान के अन्तर्गत कामिले-तिब्ब-ओ-जराहत (बेचलर ऑफ यूनानी मेडीसिन एण्ड सर्जरी) पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु अनुमति चाहने वाले यूनानी कॉलेज को इस विनियम के उप-विनियम (2) से (5) में दिये गये चरणवार तरीके से आधारभूत संरचना तथा जनशक्ति को स्थापित करना होगा।
- (2) कॉलेज छात्रों के प्रथम बैच के प्रवेश से पूर्व निम्नलिखित को रखेगा-
- (क) आवेदन प्रस्तुत करते समय, कॉलेज के पास विनियम सात के उपविनियम (2) में निर्दिष्ट वार्षिक छात्र प्रवेश क्षमता के अनुरूप शय्याओं की उचित संख्या शय्या अधिभोग एवं बाह्य रोगी विभाग की उपस्थिति रखने वाले एक वर्ष से कार्यात्मक यूनानी चिकित्सालय के साथ एक पूर्णतः विकसित चिकित्सालय सहित एक भवन उस भूमि पर ही होना चाहिए;

- (ख) प्रथम व्यवसायिक सत्र हेतु अनिवार्य अर्हता सहित विनियम आठ में उल्लिखित आवश्यक शिक्षक एवं गैर शिक्षक की नियुक्ति होनी चाहिए। प्राध्यापक के अभाव में प्रवाचक की नियुक्ति समान संख्या में होनी चाहिए;
- (ग) चिकित्सालय के प्रचालन हेतु मुआलाजात, इलाज बिद तदबीर, जराहत, ऐन उज़्न अन्फ वा हलक, अमराज़ ए निस्वां वो इल्मुल कबालत तथा अमराज़-ए-अतफाल में से प्रत्येक का कम से कम एक विशेषज्ञ चिकित्सक अथवा नैदानिक (क्लिनिकल) शिक्षक नियुक्त होना चाहिए।
- (घ) दो हजार पुस्तकों का एक पुस्तकालय जिसमें साठ प्रवेशों तक 50 व्यक्तियों तथा इकसठ से एक सौ प्रवेशों के लिए अस्सी व्यक्तियों के बैठने की क्षमता हो तथा प्याप्त स्टाफ़ हों;
- (ङ) प्रथम व्यवसायिक सत्र के शिक्षण हेतु उचित रूप से फर्नीचरयुक्त एवं सुसज्जित दो व्याख्यान हॉल तथा शिक्षण विभाग तथा प्रयोगशालाएं तथा संग्रहालय अनिवार्य होंगे।
- (च) साठ सीट की प्रवेश क्षमता के लिए तथा इकसठ से एक सौ सीट की प्रवेश क्षमता के लिए कमशः दो हजार पांच सौ वर्गमीटर भूमि तथा चार हजार वर्गमीटर भूमि पर फैला एक वनौषधियों से युक्त उद्यान जिसमें कम से कम पचास प्रजातियों की औषधियों के पौधे लगे हों।
- (छ) मानकों के अनुसार नियमित अथवा संविदा के आधार पर उद्देश्यार्थ स्वीकृत पदों पर पराचिकित्सा, सहायक तथा अन्य चिकित्सालय स्टाफ़ का पचास प्रतिशत।
- (3) छात्रों के द्वितीय बैच के प्रवेश से कम से कम तीन माह पूर्व कॉलेज का परिदर्शन किया जायेगा तथा उस समय कॉलेज निम्नलिखित को रखेगा—
- (क) प्रथम एवं द्वितीय व्यवसायिक सत्र हेतु अनिवार्य अर्हता सहित विनियम आठ में उल्लिखित आवश्यक शिक्षक एवं गैर शिक्षक की नियुक्ति होनी चाहिए तथा प्राध्यापक के अभाव में प्रवाचक की नियुक्ति समान संख्या में होनी चाहिए।
- (ख) कॉलेज के चिकित्सालय में कार्य करने हेतु मुआलाजात, इलाज बिद तदबीर, जराहत, ऐन-उज़्न-अन्फ वा हलक, अमराज़-ए-निस्वां वो इल्मुल कबालत तथा अमराज़-ए-अतफाल विभागों में से प्रत्येक का कम से कम एक विशेषज्ञ चिकित्सक अथवा एक नैदानिक (क्लिनिकल) शिक्षक।
- (ग) पांच हजार पुस्तकों का एक पुस्तकालय जिसमें साठ प्रवेशों तक के लिए पचास व्यक्तियों तथा इकसठ से एक सौ की प्रवेश क्षमता के लिए अस्सी व्यक्तियों के बैठने की क्षमता हो;
- (घ) प्रथम तथा द्वितीय व्यवसायिक वर्ष के शिक्षण हेतु उचित रूप से फर्नीचरयुक्त एवं सुसज्जित तीन व्याख्यान हॉल तथा शिक्षण विभाग तथा प्रयोगशालाएं तथा संग्रहालय अनिवार्य होंगे;
- (ङ) पिछत्तर प्रजातियों के औषधीय पौधों से युक्त औषधीय उद्यान।
- (च) अस्पताल, कॉलेज तथा प्रयोगशालाएं तथा शिक्षण औषधशाला के लिए पूर्णतः विकसित भवन;
- (छ) महाविद्यालय के पास विनियम 7 के उपविनियम (2) में निर्दिष्ट वार्षिक छात्र प्रवेश क्षमता के अनुरूप शय्याओं की उचित संख्या, शय्या अधिभोग एवं बाह्य रोगी विभाग की उपस्थिति रखने वाले एक कार्यात्मक यूनानी चिकित्सालय के साथ एक पूर्णतः विकसित चिकित्सालय का भवन होना चाहिये।
- (ज) मानकों के अनुसार नियमित अथवा संविदा के आधार पर उद्देश्यार्थ स्वीकृत पदों पर पराचिकित्सा, सहायक तथा अन्य चिकित्सालय स्टाफ़ का पिछत्तर प्रतिशत।

- (अ) सैदला विभाग से जुड़ी शिक्षण औषधि निर्माण शाला एवं गुणवत्ता मापक प्रयोगशाला होगी जिसमें पाठयक्रम के अनुसार औषधि तैयार करने हेतु अनुसूची-II में विनिर्दिष्ट न्यूनतम क्षेत्र तथा अनुसूची-VII के अनुसार उपकरण होंगे।
- (4) छात्रों के तृतीय बैच के प्रवेश से कम से कम तीन माह पूर्व महाविद्यालय का परिदर्शन किया जायेगा तथा उस समय महाविद्यालय निम्नलिखित को रखेगा—
- (क) प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय व्यवसायिक सत्र हेतु अनिवार्य अर्हता सहित विनियम आठ में उल्लिखित आवश्यक शिक्षक एवं गैर शिक्षक की नियुक्ति होनी चाहिए। प्राध्यापक के अभाव में प्रवाचक की नियुक्ति समान संख्या में होनी चाहिए।
- (ख) कॉलेज के चिकित्सालय के प्रचालन हेतु मुआलाजात, इलाज बिद तदबीर, जराहत, ऐन-उज्ज-अन्फ वा हलक, अमराज-ए-निस्वां एवं इल्मुल कबालत तथा अमराज-ए-अतफाल विभागों में से प्रत्येक में कम से कम एक विशेषज्ञ चिकित्सक अथवा एक नैदानिक शिक्षक।
- (ग) पांच हजार पुस्तकों का एक पुस्तकालय जिसमें साठ प्रवेशों के लिए पचास छात्रों के बैठने की क्षमता तथा इक्सठ से सौ प्रवेशों तक के लिए अस्सी छात्रों के बैठने की क्षमता तथा पर्याप्त स्टॉफ हों;
- (घ) प्रथम तथा द्वितीय व्यावसायिक वर्ष के शिक्षण हेतु उचित रूप से फर्नीचरयुक्त एवं सुसज्जित तीन व्याख्यान हॉल तथा शिक्षण विभाग, प्रयोगशालाएं तथा संग्रहालय अनिवार्य होंगे।
- (ङ) एक सौ प्रजातियों के औषधीय पौधों से युक्त औषधीय उद्यान।
- (च) अस्पताल, कॉलेज, प्रयोगशालाएं तथा शिक्षण औषधशाला के लिए पूर्णतः विकसित भवन।
- (छ) महाविद्यालय के पास विनियम 7 के उपविनियम (2) में निर्दिष्ट वार्षिक छात्र प्रवेश क्षमता के अनुरूप शय्याओं की उचित संख्या, शय्या अधिभोग एवं बाह्य रोगी विभाग की उपस्थिति रखने वाले एक कार्यात्मक यूनानी चिकित्सालय के साथ एक पूर्णतः विकसित चिकित्सालय का भवन होना चाहिये।
- (ज) मानकों के अनुसार नियमित अथवा संविदा के आधार पर उद्देश्यार्थ स्वीकृत पदों पर पराचिकित्सा, सहायक तथा अन्य चिकित्सालय स्टॉफ का पिछत्तर प्रतिशत एवं
- (झ) सैदला विभाग से जुड़ी शिक्षण औषधि निर्माण शाला (सैदला) एवं गुणवत्ता मापक प्रयोगशाला होगी जिसमें पाठयक्रम के अनुसार औषधि तैयार करने हेतु अनुसूची-II में विनिर्दिष्ट न्यूनतम क्षेत्र तथा अनुसूची-VII के अनुसार उपकरण होंगे।
- (5) छात्रों के चतुर्थ बैच के प्रवेश से पूर्व, कॉलेज निम्नलिखित को रखेगा—
- (क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ व्यवसायिक सत्र हेतु अनिवार्य अर्हता सहित विनियम आठ में उल्लिखित आवश्यक शिक्षक एवं गैर शिक्षक की नियुक्ति होनी चाहिए। प्राध्यापक के अभाव में प्रवाचक की नियुक्ति समान संख्या में होनी चाहिए।



- (ख) विशिष्ट मानकों के अनुसार कॉलेज, चिकित्सालय तथा अन्य इकाईयों की सम्पूर्ण आधारभूत संरचना तथा जनशक्ति की अपेक्षाएं।
- (ग) सात हजार पांच सौ पुस्तकों का पुस्तकालय जिसमें साठ प्रवेशों तक के लिए पचास व्यक्तियों तथा इकसठ से सौ तक प्रवेशों हेतु अस्सी व्यक्तियों के बैठने की क्षमता तथा पर्याप्त स्टाफ हो।
- (घ) महाविद्यालय के पास विनियम सात के उपविनियम (2) में निर्दिष्ट वार्षिक छात्र प्रवेश क्षमता के अनुरूप शैय्याओं की उचित संख्या, शय्या अधिभोग एवं बाह्य रोगी विभाग की उपस्थिति रखने वाले एक कार्यात्मक यूनानी चिकित्सालय के साथ एक पूर्णतः विकसित चिकित्सालय का भवन होना चाहिये।
- (ङ) पूर्ण क्रियात्मक प्रयोगशालाएं तथा औषध परीक्षण सुविधाओं सहित औषधशाला तथा
- (च) चिकित्सालय में औषधियों, पराचिकित्सा स्टाफ, चिकित्सक तथा आपातकाल प्रबन्धन के साथ चौबीस घंटे की चिकित्सा सेवाओं की निश्चित उपलब्धता।
- (6) किसी चिकित्सा कॉलेज की स्थापना करने तथा छात्रों को प्रवेश देने की अनुमति प्रारम्भ में एक वर्ष की अवधि के लिए प्रदान की जायेगी तथा अनुमति की अवधि वार्षिक आधार पर विनियम 10 के अन्तर्गत उल्लिखित वार्षिक लक्ष्यों की उपलब्धि की जांच की शर्त पर बढ़ायी जायेगी तथा यह कॉलेज का उत्तरदायित्व होगा कि वह अनुमति की अवधि बढ़ाये जाने के उद्देश्य हेतु प्रारम्भिक अनुमति की अवधि समाप्त होने से छः माह पूर्व परिषद् में आवेदन करे। अनुमति की अवधि बढ़ाये जाने की यह प्रक्रिया प्रथम बैच के समापन हेतु चिकित्सा कॉलेज की स्थापना के पूर्ण होने तक जारी रहेगी।
11. उपकरण, यन्त्र-समूह इत्यादि की सूची— छात्रों के लिए शिक्षण तथा प्रशिक्षण सामग्री के उचित प्रावधान सुनिश्चित करने हेतु, कॉलेज जैसा कि अनुसूची-VII के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट है, शिक्षण विभाग, चिकित्सालय, प्रयोगशालाएं तथा शवच्छेदन कक्ष, पुस्तकालय, औषधशाला तथा अन्य इकाईयों में अपेक्षित पर्याप्त संख्या में उपकरण यन्त्र-समूह इत्यादि का न्यूनतम नब्बे प्रतिशत अपने अधिकार में रखेगा।

694 GI/13-3

## अनुसूची-I

(विनियम 4, विनियम 5 का उप विनियम (1), विनियम 6, विनियम 7 का उप विनियम (4) एवं (7) देखें)

यूनानी महाविद्यालय के संलग्न चिकित्सालय की अपेक्षाएं

क्रम संख्या	विवरण	निर्मित क्षेत्र (वर्गमीटर में)	
		60 छात्रों तक	61 से 100 छात्रों तक
(1)	(2)	(3)	(4)
I.	चिकित्सालय के भवन का कुल निर्मित क्षेत्र	2,000	3500
II.	चिकित्सालय प्रशासनिक खण्ड	100	150
1.	अधीक्षक कक्ष		
2.	उप अधीक्षक कक्ष		
3.	चिकित्सा अधिकारी का कक्ष (दो आवासीय चिकित्सा अधिकारी अथवा आवासीय शल्य अधिकारी हेतु)		
4.	मैट्रन कक्ष		
5.	सहायक मैट्रन कक्ष (दो के लिए)		
6.	स्वागत पटल तथा पंजीयन		
III.	बाह्य रोगी विभाग (ओ.पी.डी.)	300	500
1.	मुआलेजात बाह्य रोगी विभाग वॉशबेसिन सहित		
2.	जराहत (ऐन, उज्ज, अनफ व हलक व असनान सहित) बाह्य रोगी विभाग वॉशबेसिन तथा परीक्षा कक्ष सहित		
3.	काबालत व आमराजे निस्वां बाह्य रोगी विभाग प्रसाधन कक्ष तथा परीक्षण कक्ष सहित		
4.	अमराजे अतफाल बाह्य रोगी विभाग वॉशबेसिन सहित		
5.	अमराजे जिल्द व तजीनियत बाह्य रोगी विभाग वॉशबेसिन सहित		
6.	स्वस्थवृत्त एवं योग बाह्य रोगी विभाग तहाफूजी व सामाजी तिब्ब वॉशबेसिन सहित		
7.	मरहम पट्टी एवं प्राथमिक चिकित्सा कक्ष		
8.	औषधालय		
9.	रोगियों के लिए प्रतीक्षा स्थल		
10.	भण्डार		
11.	रोगियों के लिये पुरुष एवं महिला प्रसाधन कक्ष		
IV.	अन्तरंग रोगी विभाग (आई.पी.डी.)	900	1650
1.	मुआलेजात व इलाज बिद तदबीर पुरुष वार्ड संलग्न प्रसाधन कक्ष एवं स्नानगृह सहित		
2.	मुआलेजात व इलाज बिद तदबीर महिला वार्ड संलग्न प्रसाधन कक्ष एवं स्नानगृह सहित		
3.	जराहत (ऐन, उज्ज, अनफ व हलक व असनान सहित) पुरुष वार्ड संलग्न प्रसाधन कक्ष एवं स्नानगृह सहित		
4.	जराहत (ऐन, उज्ज, अनफ व हलक व असनान सहित) महिला वार्ड संलग्न प्रसाधन कक्ष एवं स्नानगृह सहित		
5.	निस्वां व काबालत रोग वार्ड संलग्न प्रसाधन कक्ष एवं स्नानगृह सहित		

6.	अमराज-ए-अत्फाल वार्ड संलग्न प्रसाधन कक्ष एवं स्नानगृह सहित		
7.	प्रत्येक विभाग के लिये एक चिकित्सक ड्यूटी कक्ष संलग्न प्रसाधन कक्ष एवं स्नानगृह सहित		
8.	प्रत्येक वार्ड में एक परिचर्या स्टाफ ड्यूटी कक्ष संलग्न प्रसाधन कक्ष एवं स्नानगृह सहित		
9.	लीनन इत्यादि के लिये भण्डार गृह		
<b>V.</b>	<b>(जराहत) कक्ष खण्ड</b>	<b>150</b>	<b>250</b>
1.	मुख्य शल्यकर्म कक्ष		
2.	लघु शल्यकर्म कक्ष		
3.	प्रसाधन कक्ष एवं स्नानगृह सहित प्रसूति कक्ष		
4.	नवजात शिशु अनुरक्षण कक्ष		
5.	केन्द्रीय जीवाणुनाशन/आटोक्लेव यूनिट		
6.	स्कब कक्ष		
7.	दो पुनःश्चेतना कक्ष		
8.	चिकित्सक ड्यूटी कक्ष संलग्न प्रसाधन कक्ष एवं स्नानगृह सहित		
9.	प्रशिक्षु/गृह अधिकारी/ आवासीय चिकित्सकों का कक्ष संलग्न प्रसाधन कक्ष तथा स्नानगृह सहित		
10.	परिचर्या स्टाफ कक्ष संलग्न प्रसाधन कक्ष तथा स्नानगृह सहित		
<b>VI</b>	<b>इलाज बिद तदबीर खण्ड</b>	<b>275</b>	<b>500</b>
1.	हमाम		
2.	दलक		
3.	रियाजत		
4.	फसद		
5.	कई		
6.	अल्क, हजामत इत्यादि		
7.	इलाज बिद तदबीर चिकित्सक/चिकित्सकों का कक्ष		
8.	इलाज बिद तदबीर भण्डार कक्ष		
9.	फिजियोथैरेपी कक्ष		
<b>VII</b>	<b>केन्द्रीय प्रयोगशाला:</b> विकृति विज्ञान, जैव रसायन तथा सूक्ष्म जीव-विज्ञान हेतु पृथक विभागों सहित सुसज्जित तथा विस्तृत क्षेत्र तथा मूत्र नमूने एकत्र करने हेतु यहां संलग्न प्रसाधन कक्ष होंगे तथा ई.सी.जी. इत्यादि के लिये अन्य नवीनतम नैदानिक सुविधाएं उपलब्ध कराये जायेंगे।	<b>100</b>	<b>150</b>
<b>VIII</b>	<b>विकिरण-चिकित्सा-विज्ञान अथवा सोनोग्राफी अनुभाग:-</b> विकिरणविज्ञानी कक्ष, एक्स-रे कक्ष सहित, डार्क रूम, फिल्म ड्राई कक्ष, भण्डार कक्ष, अल्ट्र सोनोग्राफी कक्ष रोगी प्रतीक्षा एवं मरहमपट्टी/ड्रेसिंग कक्ष, स्वागत-पटल अथवा पंजीयन अथवा रिपोर्ट कक्ष।	<b>50</b>	<b>100</b>
<b>IX</b>	<b>चिकित्सालय का रसोईघर तथा कैन्टीन:</b>	<b>100</b>	<b>150</b>
<b>X</b>	<b>भण्डार/गृह</b>	<b>25</b>	<b>50</b>
	<b>कुल</b>	<b>2,000</b>	<b>3,500</b>

**टिप्पणी:**

1. उक्त निर्दिष्ट विभिन्न घटकों के बीच प्रविभाजित क्षेत्र 20% में भिन्न हो सकता है परन्तु संलग्न चिकित्सालय का कुल क्षेत्र विनियम 5 पर उल्लिखित क्षेत्र के अनुसार होना चाहिए।
2. इक्सठ से सौ छात्रों की वार्षिक प्रवेश क्षमता के एक यूनानी कॉलेज के संलग्न अस्पताल की निर्मित क्षेत्र की आवश्यकता का विघटन विनियम 5 पर उल्लिखित क्षेत्र के अनुसार क्षेत्र की कुल आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उसके अनुरूप बढ़ाया जायेगा।
3. प्रत्येक बाह्य रोगी विभाग के संलग्न प्रसाधन कक्ष की आवश्यकता उन कॉलेजों हेतु लागू होगी जो इस अधिसूचना की तिथि के बाद स्थापित होंगे।

**अनुसूची-II**

(देखें विनियम 4, विनियम 5 का उप-विनियम (1), विनियम 6 एवं विनियम 7 का उप-विनियम (7),

**यूनानी कॉलेज की आवश्यकताएं**

क्रम सं.	विवरण	निर्मित क्षेत्र (वर्ग मीटर में)	
		60 छात्रों की क्षमता तक	61 से 100 छात्रों की क्षमता तक
(1)	(2)	(3)	(4)
	<b>कॉलेज की इमारत का कुल निर्मित क्षेत्र</b>	<b>2000</b>	<b>4000</b>
1.	प्रशासनिक अनुभाग:- कॉलेज के प्रशासनिक अनुभाग में प्राचार्य कक्ष, निजी सहायक कक्ष, स्वागत पटल, आगन्तुक विश्राम कक्ष, स्टॉफ समिति कक्ष, लिपिक कक्ष, नगदी एवं लेखा अनुभाग, अभिलेख कक्ष, केन्द्रीय भण्डार और पुरुष एवं महिलाओं के लिए अलग प्रसाधन कक्ष।	150	300
2.	व्याख्यान हाल: साठ सीटों की क्षमता के लिए न्यूनतम पाँच व्याख्यान हाल प्रत्येक अस्सी वर्ग मीटर क्षेत्र से कम एवं इक्सठ से सौ सीटों की क्षमता के लिए 160 वर्ग मीटर क्षेत्र के होंगे, जिनमें बिजली आपूर्ति, श्रव्य-दृश्य शिक्षण सहायक यंत्र, पंखे/कूलर तथा अधिमानतः थियेटर के प्रकार का आरामदायक रूप से बैठने का प्रबन्ध होगा। प्रत्येक तल पर बालक एवं बालिकाओं के लिए पृथक-पृथक प्रसाधन कक्षों का निर्माण कराया जायेगा।	400	800
3.	विचार गोष्ठी अथवा सम्मेलन अथवा परीक्षा हॉल: बैठकों, विचार गोष्ठियों, सम्मेलनों, संगोष्ठी, परीक्षा, मंत्रणा इत्यादि के लिए कॉलेज के परिसर में एक वृहत हॉल उपलब्ध होगा जिसमें चार सौ से पाँच सौ व्यक्तियों के बैठने की क्षमता होगी। हॉल में बिजली तथा बैठने का प्रबन्ध तथा श्रव्य-दृश्य पद्धति की पर्याप्त सुविधाएं होंगी।	150	300

4.	<p><b>केन्द्रीय पुस्तकालय:</b> केन्द्रीय पुस्तकालय में साठ की प्रवेश क्षमता तक कम से कम पचास व्यक्तियों तथा इकसठ से सौ की प्रवेश क्षमता तक अस्सी व्यक्तियों के बैठने की क्षमता, शैल्फ अथवा अल्मारियों की पर्याप्त संख्या, स्टॉक रखने हेतु पर्याप्त स्थान, शिक्षकों के लिए पृथक वाचनालय, पुस्तकालयाध्यक्ष का कक्ष, प्रिन्टर एवं इन्टरनेट की सुविधा सहित फोटोकॉपीअर अथवा विडियो रूम कम्प्यूटर होगा। पुस्तकालय में प्रकाश का उचित प्रबन्ध, पंखे/कूलर, पेय जल का प्रबन्ध तथा प्रसाधन सुविधाएं होंगी। छात्रों के प्रथम प्रवेश के समय पुस्तकालय में यूनानी, आधुनिक चिकित्सा तथा समवर्गी विज्ञान के विभिन्न शीर्षकों की दो हजार पांच सौ पुस्तकें होंगी। छात्रों के द्वितीय तथा तृतीय बैचों के प्रवेश से पूर्व पुस्तकों की संख्या पांच हजार तक तथा छात्रों के चतुर्थ बैच के प्रवेश के पूर्व सात हजार पांच सौ तक बढ़ाई जायेगी। पांच वर्ष या अधिक के लिए विद्यमान महाविद्यालय दस हजार पुस्तकें रखेगा।</p>	100	200
5.	<p><b>शिक्षण विभाग:</b> चौदह शिक्षण विभाग होंगे जिनमें से प्रत्येक के साथ शिक्षकों के लिए कक्ष, एक छोटा विभागीय पुस्तकालय, एक छोटा कार्यालय, गैर शिक्षण स्टॉफ हेतु कार्य स्थान तथा विशिष्ट विभाग की आवश्यकतानुसार एक संग्रहालय अथवा प्रयोगशाला अथवा शवच्छेदन हॉल अथवा शिक्षकीय कक्ष ।</p>	कुल 1200 वर्गमीटर तथा विघटन निम्नवत् होगा:	कुल 2400 वर्गमीटर तथा विघटन निम्नवत् होगा:
(i)	<p>विभाग के आधार पर क्षेत्र की आवश्यकता निम्नवत् होगी:- कुल्लियात विभाग तथा इसके अतिरिक्त विभागीय पुस्तकालय व शिक्षकीय कक्ष</p>	50	100
(ii)	<p>तशरीहुलबदन विभाग और एक हवादार शवच्छेदन हॉल (एगजॉस्ट फेन्स तथा विशेषकर एयर कन्डीशन्स द्वारा हवादार), पर्याप्त लॉकरों तथा वाशबेसिन सहित छात्रों के लिए एक कक्ष, चार शव हेतु एक भण्डारण टैंक अथवा प्रशीतित (फ्रीजर) सहित एक शव का संलेपन करने हेतु कक्ष तथा वैकल्पिक माइक्रो ऐनॉटमी प्रयोगशाला सहित तशरीहुलबदन संग्रहालय</p>	125	250
(iii)	<p>मुनाफ-ए-उल-आज़ा विभाग तथा इसके अतिरिक्त जैव रसायन परीक्षण हेतु वैकल्पिक सुविधा सहित मुनाफ-ए-उल-आज़ा (फीजियोलॉजी) प्रयोगशाला</p>	75	150

694 GI/13-4

	(iv) इल्मुल अदविया विभाग तथा इसके अतिरिक्त वनस्पति व अदविया संग्रहालय तथा फार्माकोग्नोसी तथा फार्माक्लॉजी प्रयोगशालाएं तथा औषध परीक्षण प्रयोगशाला	100	200
	(v) सैदला विभाग के साथ शिक्षण औषधशाला	75	150
	(vi) तहफफुजी व समाजी तिब्ब विभाग संग्रहालय सहित	75	150
	(vii) महियातुल आमराज विभाग तथा इसके अतिरिक्त विकृति विज्ञान (पैथोलॉजी) प्रयोगशाला सहित	50	100
	(viii) मुआलाजात विभाग	75	150
	(ix) इलाज बिद तदबीर विभाग	50	100
	(x) जराहत विभाग तथा संग्रहालय व शिक्षकीय कक्ष	75	150
	(xi) अमराजे ऐन, उज़्ज, अन्फ व हलक विभाग तथा इसके अतिरिक्त संग्रहालय व शिक्षकीय कक्ष	75	150
	(xii) निस्वां व कबालत विभाग तथा इसके अतिरिक्त संग्रहालय व शिक्षकीय कक्ष	75	150
	(xiii) अमराजे अतफाल विभाग तथा संग्रहालय व शिक्षकीय कक्ष	50	100
	(xiv) अमराजे जिल्द व तजीनियत विभाग तथा शिक्षकीय कक्ष <i>टिप्पणी— सभी प्रयोगशालाओं की कार्य करने की मेजें कठोर पत्थर अथवा स्टेनलेस स्टील की होनी चाहिये तथा शेल्फ तथा वाशबेसिन में ताजे पानी के नल की उचित व्यवस्था होनी चाहिए।</i>	50	100
6.	शिक्षण औषधशाला तथा औषधि गुणवत्ता-परीक्षण प्रयोगशाला: कॉलेज में विभिन्न प्रकार की यूनानी की औषधियां तैयार करने हेतु उचित प्रशिक्षण सुविधाओं सहित एक शिक्षण औषधशाला, एक कच्ची-औषधियों का भण्डारगृह तथा आंतरिक औषधि तदरूपीकरण एकीकरण होगा।	100	200
7.	सामान्य कक्ष: बैठने के पर्याप्त प्रबन्ध सहित बालक तथा बालिकाओं हेतु पृथक पृथक कक्ष उपलब्ध होंगे।	50	100
8.	कैन्टीन: कॉलेज परिसर में लगभग सौ व्यक्तियों के बैठने के प्रबन्ध सहित कैन्टीन की सुविधा उपलब्ध होगी।	50	100
	कुल	2000	4000

**टिप्पणी:**

उक्त निर्दिष्ट विभिन्न घटकों के बीच प्रविभाजित क्षेत्र 20% न्यूनाधिक भिन्न हो सकता है परन्तु एक यूनानी कॉलेज का कुल क्षेत्र विनियम 5 पर उल्लिखित क्षेत्र के अनुसार होना चाहिए।

## अनुसूची-III

(विनियम 5 का उप-विनियम (2) एवं विनियम 6 देखें)

एक यूनानी कॉलेज की समवर्गी आधारभूत संरचना की आवश्यकताएं

क्रम सं.	विवरण	निर्मित क्षेत्र (वर्ग मीटर में)	
		60 छात्रों तक	61 से 100 छात्रों तक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	वनौषधि उद्यान: एक सौ प्रजातियों के वनौषधि पौधों सहित भलीभाँति विकसित एक औषधीय पौधों का बगीचा कॉलेज में विद्यमान होगा।	2500	4000

टिप्पणी:

- उक्त निर्दिष्ट क्षेत्र 20% में भिन्न हो सकता है, परन्तु एक यूनानी महाविद्यालय का कुल क्षेत्र विनियम चार पर विनिर्दिष्ट क्षेत्र के अनुसार होना चाहिए।

## अनुसूची-IV

(विनियम 7 का उप-विनियम (7) तथा विनियम 7 का उप-विनियम (8) देखें)

यूनानी कॉलेज चिकित्सालय के स्टाफ की आवश्यकताएं

क्रम संख्या	पद	आवश्यकता
(1)	(2)	(3)
1.	चिकित्सालय अधीक्षक	<ol style="list-style-type: none"> <li>चिकित्सा अधीक्षक का पद प्रोफेसर पद की अर्हता से कम नहीं होगा। अथवा</li> <li>प्रधानाचार्य अथवा अधिष्ठाता चिकित्सा अधीक्षक के रूप में पदेन कार्य कर सकेंगे। तथापि चिकित्सा अधीक्षक का पद पहले से ही अस्तित्व में है तो यह जारी रहेगा।</li> </ol>
2.	उप चिकित्सा अधीक्षक	<ol style="list-style-type: none"> <li>मान्यता प्राप्त यूनानी चिकित्सा में स्नातकोत्तर उपाधि।</li> <li>शिक्षण स्टाफ के अतिरिक्त नैदानिक विषय विशेष में स्नातकोत्तर उपाधि सहित पूर्ण कालिक नियमित पदधारी।</li> </ol> <p>टिप्पणी:—(1) स्नातकोत्तर उपाधि की अनिवार्यता की शर्त इस अधिसूचना के बाद स्थापित होने वाले कॉलेजों पर होगी। (2) क्लीनिकल अनुभव प्राप्त सेवा निवृत्त चिकित्सा अधिकारी/अनुसंधान अधिकारी (बिना स्नातकोत्तर उपाधि के) को भी उप-चिकित्सा अधीक्षक के पद हेतु योग्य माना जाएगा।</p>

3.	परामर्शदाता	नैदानिक विभाग के शिक्षक
4.	आवासीय चिकित्सा अधिकारी अथवा आवासीय शल्य चिकित्सा अधिकारी (आर.एम.ओ या आर.एस.ओ या एम.ओ.)	05 (01 मुआलेजात, 02 निस्वां व कबालत, 01 जराहत में तथा 01 अमराज-ए-अतफाल में)
5.	मैट्रन या परिचर्या अधीक्षक	01
6.	अंतः रोगी विभाग हेतु स्टाँफ परिचारिकाएं	प्रति 20 शय्याओं के लिए 1
7.	वार्ड अनुकर्मो अथवा आया	प्रति 10 शय्याओं के लिए 1
8.	भेषजज्ञ (फार्मासिस्ट)	02
9.	ड्रेसर	02
10.	भण्डारपाल (स्टोर कीपर)	01
11.	कार्यालय स्टाँफ (पंजीयन, अभिलेख अनुरक्षण, डाटा एन्ट्री इत्यादि)	02
12.	डार्क रूम परिचर	01
13.	शल्य कक्ष परिचर	01
<b>आधुनिक चिकित्सा स्टाँफ</b>		
14.	चिकित्सा विशेषज्ञ	01 अंशकालिक / संविदा पर
15.	शल्य विशेषज्ञ	01 अंशकालिक / संविदा पर
16.	प्रसूति तथा स्त्रीरोग विज्ञानी	01 अंशकालिक / संविदा पर
17.	विकृतिविज्ञानी	01 अंशकालिक / संविदा पर
18.	संज्ञाहरण विज्ञानी	01 अंशकालिक / संविदा पर
19.	नेत्र विज्ञानी	01 अंशकालिक / संविदा पर
20.	बाल (रोग) चिकित्सक	01 अंशकालिक / संविदा पर
21.	विकिरणविज्ञानी	01 अंशकालिक / संविदा पर
22.	दंत चिकित्सक	01 अंशकालिक / संविदा पर
23.	फिज़ियोथैरेपिस्ट	01 अंशकालिक / संविदा पर
24.	एक्स-रे तकनीशियन अथवा विकिरण चित्रक	01
<b>इलाज बिद तदबीर चिकित्सा विज्ञान अनुभाग के बाह्य रोगी विभाग तथा अन्तः रोगी विभाग हेतु स्टाँफ</b>		
25.	इलाज बिद तदबीर विशेषज्ञ	इलाज बिद तदबीर शिक्षण विभाग के शिक्षक
26.	गृह अधिकारी अथवा नैदानिक रजिस्ट्रार अथवा वरिष्ठ आवासीय चिकित्सक (यूनानी)	01
27.	इलाज बिद तदबीर परिचारिका	01 (कम संख्या 6 पर निर्दिष्ट परिचारिकाओं के अतिरिक्त)
28.	इलाज बिद तदबीर सहायक	01 पुरुष तथा 01 महिला
29.	मालिशकर्ता	01 पुरुष तथा 01 महिला
<b>जराहत (शल्यकर्म) कक्ष का स्टाँफ</b>		
30.	जराहत एवं क्षारसूत्र चिकित्सा-विज्ञान विशेषज्ञ	जराहत विभाग के शिक्षक



31.	शल्यकर्म कक्ष परिचर	01
32.	ड्रेसर	01
33.	परिचारिकाएं	01, ये परिचारिकाएं क्रम संख्या 6 पर निर्दिष्ट परिचारिकाओं के अतिरिक्त होंगी।
<b>प्रसव कक्ष</b>		
34.	कबालत व अमराजे निस्वां विशेषज्ञ	कबालत व अमराजे निस्वां विभाग के शिक्षक
35.	मिडवाइफ	01
<b>नैदानिक प्रयोगशाला</b>		
36.	प्रयोगशाला तकनीशियन	02
37.	चपरासी अथवा परिचर	02
<b>शिक्षण औषधशाला तथा गुणवत्ता-परीक्षण प्रयोगशाला</b>		
38.	औषधशाला प्रभारी (इल्मुल अदविया/सैदला के शिक्षक)	01
39.	चपरासी अथवा परिचर	01
40.	कामगार	02
41.	विश्लेषण रसायनज्ञ (अंशकालिक)	01 (विभाग में गैर शिक्षण स्टॉफ के अन्तर्गत उपलब्ध प्रयोगशाला तकनीशियन)
42.	भेषज अभिज्ञानी (अंशकालिक)	01 (विभाग में गैर शिक्षण स्टॉफ के अन्तर्गत उपलब्ध प्रयोगशाला तकनीशियन)

**टिप्पणी:**

1. साठ से अधिक शय्याओं वाले चिकित्सालय हेतु आवासीय चिकित्सा अधिकारी, आवासीय शल्य चिकित्सा अधिकारी, सहायक मेट्रन तथा भेषजज्ञ के रूप में प्रत्येक के लिए दो पदधारियों की अतिरिक्त आवश्यकता होगी।
2. चिकित्सालय में सुरक्षा, सिविल तथा विद्युत, सफाई का प्रबन्ध, दैनिक आहार तथा कैंटीन, धुलाई-घर तथा अपशिष्ट भस्मीकरण तथा फेंकने या नष्ट करने की सुविधाओं के पर्याप्त प्रावधान होंगे।
3. अनिवार्य ड्यूटी स्टॉफ तथा सेवाएं चौबीस घंटे उपलब्ध होंगी।
4. गैर तकनीकी स्टॉफ जैसे चपरासी, परिचर, सफाईवाला, सुरक्षा कर्मचारी, धोबी, माली तथा रसोईया इत्यादि की सेवाएं बहिःस्रोतन द्वारा प्राप्त की जा सकती है।

694 GI/13-5

## अनुसूची-V

[विनियम 3 का उप-विनियम (3), विनियम 6, विनियम 7 का उप-विनियम (7) तथा विनियम 8 का उपविनियम (1) देखें]

## यूनानी कॉलेज शिक्षण स्टाँफ का विवरण

कं. सं. (1)	शिक्षण विभाग (2)	शिक्षण स्टाँफ की आवश्यकता					
		60 छात्रों तक (3)			61 से 100 छात्रों तक (4)		
		प्राध्यापक	प्रवाचक	व्याख्याता	प्राध्यापक	प्रवाचक	व्याख्याता
(1)	कुल्लियात	1 अथवा 1		1	1	1	1
(2)	तशरीहुल बदन	1 अथवा 1		1	1	1	1
(3)	मुनाफुल आज़ा	1 अथवा 1		1	1	1	1
(4)	इल्मुल अदविया	1 अथवा 1		1	1	1	1
(5)	इल्मुल सैदला	1 अथवा 1		1	1	1	1
(6)	माहियातुल अमराज़	1 अथवा 1		1	1	1	1
(7)	तहफफुज़ी व समाजी तिब्ब	1 अथवा 1		2	1	1	2
(8)	मुआलाजात	1 अथवा 1		2	1	1	2
(9)	निस्वां व कबालत	1 अथवा 1		1	1	1	2
(10)	इल्मुल अतफाल	1 अथवा 1		1	1	1	1
(11)	जराहत	1 अथवा 1		1	1	1	1
(12)	ऐन-उज़्ज-अन्फ-हलक व असनान	1 अथवा 1		1	1	1	1
(13)	अमराज़े जिल्द व तजीनियत	1 अथवा 1		1	1	1	1
(14)	इलाज बिद तदबीर	1 अथवा 1		1	1	1	1
			14	16	14	14	17
	कुल		30		45		

## टिप्पणी:

- उक्त के अतिरिक्त एक अरबी शिक्षक (अरबी भाषा एवं मन्तिक-ओ-फलसफा पढ़ाने के लिए), एक शिक्षक संचार कौशल प्रदान के लिए एवं अनुसूची -IV (कम संख्या 14 से 22) पर यथा विनिर्दिष्ट आधुनिक चिकित्सा के आठ परामर्शदाता शिक्षण हेतु अंशकालिक आधार पर विनियोजित किये जायेंगे। प्री-तिब्ब के लिए साइंस व अंग्रजी पढ़ाने हेतु शिक्षक अंशकालिक आधार पर विनियोजित किए जाएंगे।

2. सात छात्रों की प्रवेश लेने की सशर्त अनुमति प्राप्त करने हेतु शिक्षकों की कमी प्रत्येक सात विभाग (2013-14)/चौदह विभाग (2014-15) में न्यूनतम एक शिक्षक की उपलब्धता सहित कुल आवश्यकता का 10% से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी। कुल उच्च संकाय प्राध्यापक/प्रवाचक 12 से कम न हों जो प्रत्येक सात विभाग (2013-14)/ग्यारह विभाग (2014-15) में उपलब्ध हों। यह छूट केवल 2013-14 एवं 2014-15 सत्र में सशर्त अनुमति प्राप्त करने हेतु प्राप्त होगी एवं उसके बाद छूट का यह प्रावधान प्राप्त नहीं होगा। उदाहरण के लिए 60 छात्रों की अनुमति के लिए न्यूनतम सत्ताइस शिक्षकों की उपलब्धता आवश्यक है जिनमें न्यूनतम बारह प्राध्यापक/प्रवाचक सात विभाग (2013-14)/ग्यारह विभाग (2014-15) में उपलब्ध हों।
3. इकसठ से सौ छात्रों की प्रवेश लेने की सशर्त अनुमति प्राप्त करने हेतु शिक्षकों की कमी कुल आवश्यकता का 10% से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी एवं कुल उच्च संकाय (प्राध्यापक/प्रवाचक) की कमी कुल आवश्यकता का 10% से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी। न्यूनतम एक उच्च संकाय एवं एक प्रवक्ता प्रत्येक सात विभाग (2013-14)/चौदह विभाग (2014-15) में उपलब्ध हों। कुल उच्च संकाय उन्नीस से कम न हों। यह छूट केवल 2013-14 एवं 2014-15 सत्र में सशर्त अनुमति प्राप्त करने हेतु प्राप्त होगी एवं उसके बाद छूट का यह प्रावधान प्राप्त नहीं होगा। उदाहरण के लिए इकसठ से सौ छात्रों की अनुमति के लिए न्यूनतम चालीस शिक्षकों की उपलब्धता आवश्यक है जिनमें कम से कम बारह प्राध्यापक/प्रवाचक सात विभाग (2013-14)/उन्नीस विभाग (2014-15) में उपलब्ध हों।
4. भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (भारतीय चिकित्सा में शिक्षा के न्यूनतम मानक) संशोधन विनियम, 2012 के विनियम 12 के अन्तर्गत समवर्गी विषयों में स्नातकोत्तर अर्हता का प्रावधान पांच वर्षों की अवधि हेतु उच्च संकाय (प्राध्यापक तथा प्रवाचक) के पद हेतु भी लागू होगा।

## अनुसूची—VI

[विनियम 6 तथा विनियम 8 का उपविनियम (3) देखें]

यूनानी कॉलेज के तकनीकी तथा अन्य स्टॉफ का विवरण

कं. सं. (1)	विभाग (2)	पद (3)	आवश्यकता (4)
1.	पुस्तकालय	पुस्तकालयाध्यक्ष/सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष	1
		पुस्तकालय परिचर अथवा चपरासी	1
2.	कॉलेज कार्यालय	प्रशासनिक एवं लेखा सेवाओं हेतु लिपिकीय स्टॉफ	4
3.	कुल्लियात	परिचर	1
4.	तशरीहुल बदन	प्रयोगशाला तकनीशियन	1
		संग्रहालयपाल	1
5.	मुनाफुलआज़ा	प्रयोगशाला तकनीशियन	1
		संग्रहालयपाल	1
6.	इलमुल अदविया	प्रयोगशाला तकनीशियन	1
		संग्रहालयपाल	1
7.	सैदला	दवासाज़/औषधशाला सहायक	1
8.	महियातुल आमराज़	प्रयोगशाला तकनीशियन	2
9.	निस्वां वो कबालत	परिचर	2
10.	इल्मुल काबालत		
11.	तहफफुजी व समाजी तिब्ब		
12.	मुआलाजात		
13.	जराहत		
14.	ऐन-उज़्ज-अन्फ व हलक		
15.	इलाज बिद तदबीर		
16.	अमराज़े जिल्द व तज़ीनियत		
16.	हरबल गार्डन	माली	1
		बहु-उद्देशीय कार्यकर्ता	2

टिप्पणी— सफाई कर्मचारी, परिचर, लिफ्टर, प्रयोगशाला सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर (डीईओ), बहुउद्देशीय कार्यकर्ता अनुबंध के आधार पर हो सकते हैं

## अनुसूची-VII

[विनियम 3 का उप-नियम (3), विनियम 6, विनियम 7 का उप विनियम (7), विनियम 10 का उप-विनियम 3 (झ) तथा विनियम 11 (देंखें)]

(क) तशरीहुल बदन (शव विच्छेदन) गृह हेतु आवश्यक उपकरण एवं यंत्रों का विवरण—

क्र.सं.	उपकरण का नाम
1.	विभिन्न प्रकार व आकार के अस्थि कर्तन
2.	विभिन्न प्रकार की चिमटियां
3.	चिसेलस
4.	शवच्छेदन कैंची भिन्न प्रकार एवं आकार की
5.	टैगिंग
6.	भिन्न प्रकार के चाकू
7.	भिन्न प्रकार की सीवनी
8.	शवच्छेदन मेज (पूर्ण आकार)
9.	शवच्छेदन मेज (अर्ध आकार)
10.	प्रयोगशाला ट्रे
11.	ढक्कन सहित कांच के जार (नमूने हेतु)
12.	लेपन मशीन
13.	रोकिंग पंप/फुट स्प्रेयर
14.	जीवाणुनाशक यंत्र
15.	बाल्टियां
16.	फार्मल्डीहाइड घोल
17.	कार्बोलिक एसिड
18.	सोडियम एसिटेट
19.	पोटेशियम एसिटेट
20.	जीवाणुनाशक घोल
21.	ग्लिसरीन
22.	डमी कैडेवर एवं शरीरिक अंगों के नमूने
23.	संपूर्ण शरीर का अस्थिकंकाल अस्थियां, छेदित/संरक्षित शरीर के अंग इत्यादि

(ख) मुनाफुल आज्ञा प्रयोगशाला हेतु आवश्यक उपकरण एवं यंत्रों का विवरण

क्र.सं.	अनिवार्य उपकरण एवं यंत्र
1.	माइक्रोस्कोप विद ऑयल इमर्शन
2.	ई.एस.आर. हेतु वैस्टरग्रेन पीपेट
3.	हीमाटोकीट ट्यूब
4.	साहली हीमोग्लोबिनोमीटर
5.	हीमोसाइटोमीटर
6.	स्फिग्मोमैनोमीटर
7.	स्टेथेस्कोप
8.	क्लीनिकल थर्मामीटर
9.	नी-हैमर
10.	ट्युनिंग फोक्स
11.	इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ

694 GI/13-6

12.	स्टॉप वॉचेस
13.	वाटर डिस्टीलेशन (स्टिल)
14.	थर्मामीटर, बैलेन्स, माइक्रोस्लाइड्स
15.	कवर स्लिप, ग्लासवेयर
16.	सेन्ट्रीफ्यूज मशीन गति नियंत्रक सहित
17.	कलरीमीटर (फोटो इलेक्ट्रिक)
18.	पी.एच. मीटर (इलेक्ट्रिक)
19.	पी.एच. कम्पैरेटर डिस्क सहित
20.	रेफ्रीजरेटर
21.	न्यूटन्स कलर व्हील इन ए बैच
22.	स्पाइरोमीटर
23.	टोनोमीटर
24.	हाइड्रोमीटर
25.	विस्कोमीटर
26.	ओस्मोमीटर
27.	स्टेलैग्मोमीटर
28.	स्टेरेलाइजर

(ग) सैदला प्रयोगशाला हेतु आवश्यक उपकरण एवं यंत्रों का विवरण

क.सं.	अनिवार्य उपकरण एवं यंत्र
1.	पेस्टिल एवं मोर्टार
(क)	स्माल
(ख)	मीडियम
(ग)	पोर्सलेन
(घ)	आयरन
2.	हीटिंग डिवाइज
(क)	गैस स्टोव
(ख)	इलेक्ट्रिक स्टोव
(ग)	हॉट प्लेट
(घ)	चूल्हा (चारकोल)
3.	वेसल
(क)	फ्राइंग पेन
(ख)	स्टील वेसल
(ग)	स्पैटुला
(घ)	लिडलस एण्ड स्पूनस
(ङ)	नाइफ
(च)	प्लेटस
(छ)	समदश यंत्र (टोंग्स)
4.	विभिन्न आकार के मापक उपकरण (ग्लास)
5.	बिग वेसल्स एण्ड कन्टेनर
(क)	ब्रास
(ख)	कॉपर
(ग)	स्टील इत्यादि

6.	विभिन्न धारिताओं की बेलेन्स
(क)	फिजिकल
(ख)	केमिकल
7.	पोउन्डिंग एप्रेटस (उल्लुखवाला यंत्र)
8.	सीव्स (एसोर्टड संख्या एवं आकार)
9.	वेट ग्राइन्डर
10.	मिक्सी
11.	जूस एक्सट्रेक्टर
12.	पुटस (विभिन्न प्रकार)
13.	पाइरोमीटर
14.	थर्मामीटर
15.	प्रेसर कुकर
16.	भूशा (कुसिबल्स)
17.	रेफ्रीजरेटर
18.	जार (पोरसेलैन) फरमनटेशन पर्पस
19.	डिस्टिलेशन एप्रेटस, क्रा अम्बिक, नल भपका इत्यादि परंपरिक पद्धतियों को सम्मिलित करते हुए
20.	इनेमल ट्रेज
21.	स्प्रीट लैम्प
22.	माइक्रोस्कोप
23.	अर्थेन वेसल पॉटस
24.	भण्डारण हेतु अलमारियां एवं रैक्स

## (घ) फार्माकोग्नोसी प्रयोगशाला के लिए उपकरण और यन्त्रों का विवरण

क्र.सं.	आवश्यक उपकरण एवं यन्त्र
1.	फील्ड मैग्निफायर
2.	कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोप
3.	डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप
4.	माइक्रोस्कोप
5.	कवर सहित स्लाइड बॉक्स
6.	ब्लोटिंग / फिल्टर पेपर
7.	इलेक्ट्रॉनिक्स बैलेन्स
8.	डिसेक्टिंग बॉक्स
9.	इनेमल ट्रे
10.	रेयजेन्टस
(क)	क्लोरोफार्म
(ख)	एल्कोहल
(ग)	हाइड्रोक्लोरिक एसिड
(घ)	सल्फ्यूरिक एसिड
(ङ)	सोडियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड
(च)	बैन्डिकट सोल्यूशन
(छ)	सोडियम नाइट्रेट
(ज)	पोटेशियम नाइट्रेट

(झ)	साइट्रिक एसिड
(ञ)	आयोडिन
(ट)	इथाइल एल्कोहल
(ठ)	पोटेशियम आयोडाइड
(ड)	जायलोल/शुद्ध जायलीन(स्लाइड तैयार करने के लिए)

(ड) माहियातुल अमराज प्रयोगशाला हेतु आवश्यक उपकरण और यन्त्रों का विवरण

कं.सं.	आवश्यक यन्त्र एवं उपकरण
1.	बाइनोक्यूलर माइक्रोस्कोप
2.	एक्स रे व्यू बाक्स
3.	स्टरलाइज्ड डिस्पोसेबल लैन्सर/नीडिल
4.	साहिली का स्कवायर ट्यूब
5.	एच.बी. पिपेट
6.	ड्रॉपर
7.	ग्लास रोड
8.	डब्ल्यू.बी.सी. पिपेट
9.	इम्प्रूव्ड न्योबार चैम्बर
10.	कवर स्लिप
11.	रैड सेल पिपेट
12.	साफ स्लाइड
13.	इन्क्यूबेटर
14.	विन्ट्रोब की ट्यूब
15.	पैस्टयोर पिपेट
16.	सेन्ट्रिफ्यूज ग्रेजुएट मशीन
17.	वैस्टरग्रेन पिपेट
18.	रबर शीट
19.	वैस्टरग्रेन स्टैण्ड
20.	लिटमस पेपर
21.	पीएच इन्डिकेटर पेपर स्ट्रिप्स
22.	यूरिनोमीटर
23.	मल्टी स्टिक्स
24.	बनसन बर्नर
25.	टेस्ट ट्यूब
26.	टेस्ट ट्यूब होल्डर
27.	फिल्टर पेपर
28.	स्टील अलमारी
29.	स्टील रैक
30.	विभिन्न आकार के ढक्कन सहित शीशे के जार
31.	ग्लास व्यू रैक
32.	मैग्नीफाइंग रैक
33.	आटोकलेव
34.	वाटरबाथ
35.	विभिन्न प्रकार की पृथक करने हेतु फनल



36.	स्टाप वाच
37.	अल्ट्रावायलेट लैम्प
38.	ऑयल इमरसन लेंस 20 (ई) के साथ मोनोक्यूलर माइक्रोस्कोप
39.	कैपिलरी ट्यूब
40.	हॉट एयर ओवन
41.	आइल इमरसन सहित माइक्रोस्कोप के साथ
42.	रेफ्रिजरेटर
43.	स्टरलाइज्ड वैसिलस/ नमूने एकत्र करने हेतु बोतल
44.	बी.पी. अप्रेटस
45.	स्टेथस्कोप
46.	थर्मामीटर
47.	टंग डिप्रैसर
48.	टार्च
49.	नी हेमर
50.	मैसरिंग टेप
51.	ई.एन.टी. परीक्षण सैट
52.	रिफ्लैक्टर (मिरर)
53.	वेइंग मशीन
54.	ट्यूनिंग फार्क
55.	नेशल स्पेकुलम
56.	लेरिजोस्कोप
57.	कैथेटरस
58.	प्रोब्स
59.	डिस्पोसेबिल ग्लवस
60.	फिजिकल बैलेन्स
61.	सिरिन्ज निडल डिस्ट्रॉयर
62.	एचबीएस ए.जी. किट
63.	एचआईवी किट-ट्राईडोट (टी मित्रा की पद्धति)
64.	सीटी एण्ड बी.टी.किट
65.	सैल काउन्टर (हीमोओटोएनालाइजर)
66.	रीनल प्रोफाइल, एलएफटी किट, लाइपिड प्रोफाइल, ब्लड सुगर किट

(च) प्रसव कक्ष हेतु आवश्यक उपकरण एवं यन्त्रों का विवरण

कं.सं.	आवश्यक यन्त्र एवं उपकरण
1.	शैडोलेस लैम्प
2.	सक्सन मशीन (न्यूनेटल)
3.	ऑक्सीजन सिलिंडर एवं मास्क
4.	फीटल टोको कार्डियोग्राफ
5.	रेडिएन्ट वार्मर
6.	फोटो थैरेपी इकाई
7.	भार मापक संयंत्र (बालरोग)
8.	रोगी ट्रॉली
9.	एनस्थीसिया ट्रॉली

694 GI/13-7

10.	इन्फेन्टोमीटर
11.	वैक्यूम एक्सट्रैक्टर
12.	फीटल डॉप्लर
13.	लॉ कैविटी फारसेप्स
14.	स्टरलाइजर
15.	मेचिनटोस रबर शीट
16.	कैटगट एवं थ्रेड
17.	स्पेकुलम — सिम्स — कसकोस
18.	प्रसव के लिए उपकरण एवं इपी सियोटोनी (सीजर, फोरसेप्स, नीडल होल्डर इत्यादि)
19.	बेबी ट्रे
20.	ड्रा शीट
21.	प्लास्टिक एप्रन
22.	एचआईवी किट आल्त्यापिक रोगियों के लिए
23.	सामान्य एवं छिद्र सहित तौलिए
24.	ग्लव्स
25.	निबूलाइजर
26.	फोटोस्कोप
27.	ऑटो क्लेव
28.	ड्रम्स
29.	उपकरण ट्रे
30.	ऑपरेशन टेबिलस सिर उठाने व सिर नीचे करने की सुविधा सहित
31.	डबल डोम सैडोलैस लैम्प
32.	पल्स ऑक्सीमीटर
33.	ऑक्सीजन सिलिन्डर
34.	रिसक्सीसिटेशन किट
35.	बॉयलस एप्रेटस
36.	इलैक्ट्रो काटरी
37.	एमटीपी सक्सन मशीन
38.	एनस्थीसिया किट
39.	ब्लन्ट एण्ड शार्प क्यूरेटर
40.	डायलेटर सैट (हेंगरस एण्ड हॉकिन्स)
41.	एन्टीरियर वैजाइनल वाल रिट्रेक्टर
42.	यूटराइन साउन्ड
43.	वैलोस्लम
44.	एमटीपी सक्सन क्यूरेट
45.	नीडिलस
46.	नीडिल होल्डर
47.	स्पंज हाल्डिंग फोरसेप्स
48.	टॉवल क्लिपस
49.	एबडोमिनल रिट्रेक्टर (डायन अन्य)
50.	ग्रीन अर्मीटिज फारसेप्स

51.	यूटरस होल्डिंग फारसेप्स
52.	कोकस फॉरसेप्स
53.	आरट्री फॉरसेप्स (लॉग, शॉर्ट, मास्क्यूटो)
54.	विभिन्न आकार की कैंची
55.	आब्स्ट्रेटिक फारसेप्स
56.	टंग डिप्रेसर
57.	एन्डोट्रिकियल ट्यूब
58.	बीपी एप्रैटस
59.	एचएसजी कैनल
60.	कार्ड काटने का उपकरण
61.	आईयूसीडी रिमूविंग हुक
62.	ब्लैडर साउन्ड

## (छ) शल्यकर्म कक्ष हेतु आवश्यक उपकरण एवं यंत्रों का विवरण

क्र.सं.	अनिवार्य उपकरण एवं यंत्र
I	जराहत
1.	स्पोट लाइट (छत में फिटकी हुई शैडोलेस)
2.	नीडल होल्डिंग फारसेप्स (बड़ी छोटी मध्यम आकार)
3.	एप्रन
4.	स्पैसिमैन जार
5.	एसोर्टिड साइज के ड्रेसिंग ड्रम
6.	ड्रम स्टैण्ड
7.	आई.वी. स्टैण्ड
8.	एक्सरे व्यू बाक्स (Mcy)
9.	सर्जन्स गाउन
10.	मास्क एण्ड कैप
11.	गौज, काटन एवं पट्टियाँ
12.	विभिन्न साइज के ग्लव्स
13.	चीटल्स फॉरसेप्स
14.	टॉवल क्लिप्स
15.	मास्क्यूटो फॉरसेप्स
16.	सीधी कैंची (टेलर)
17.	विभिन्न साइज की कर्वड सीजर
18.	स्टिज रिमूवल सीजर
19.	डिसेक्शन फॉरसेप्स
20.	साइनस फॉरसेप्स
21.	प्रोब्स एसोर्टिड साइज
22.	पॉइन्टड सीजर्स
23.	गैस्ट्रिक इंटस्टिनल क्लैम्प (आक्लूसिव क्लिपिंग)
24.	एब्डामिनल रिटैक्टर्स
25.	टिशू फारसेप्स
26.	बैब कोक्स फारसेप्स
27.	कोचर्स फारसेप्स
28.	यूरिथ्रल डायलेटर

29.	रबर कैथेटर ऑफ असाटर्ड साइज
30.	मैटल कैथेटर
31.	कारुगेटड रबर ड्रेन
32.	सूचरिंग नीडिल (स्ट्रेट/कर्क)
33.	सर्जिकल थ्रेड
34.	स्पंज होल्डिंग फॉरसेप्स
35.	राइट ऐंगल कोलेसिस्टैक्टमी फॉरसेप्स
36.	स्टोन होल्डिंग फॉरसेप्स
37.	प्राक्टोस्कोप विद/विदआउट इल्यूमिनेटर
38.	बेगीज मेगार्स
39.	एलीस फॉरसेप्स स्मॉल
40.	एलीस फॉरसेप्स बिग
41.	पाइल होल्डिंग फॉरसेप्स
42.	आर्टरी फॉरसिप्स स्मॉल
43.	आर्टरी फॉरसिप्स बिग
44.	आर्टरी फॉरसिप्स मीडियम
45.	सिग्माइडोस्कोप रिजिड/फलैक्सिबल
46.	बैरन पाइल्स गन
47.	लैरिगोस्कोप (पीडियाट्रिक/अडल्ट)
48.	बोइल्स अपैरेटस
49.	मल्टीपैरामीटर मानीटर
50.	अम्बू बैग
51.	सक्शन मशीन इलैक्ट्रिकल/मैनुअल
52.	जनरेटर
53.	एमजेसी लाईट
54.	फायर एक्सटिंग्विशर
55.	स्किन ग्राफटिंग नाइफ विद हैंडल
56.	सर्जिकल ब्लेड्स ऑफ डिफरेंट साइज
57.	बी.पी.हैंडल ऑफ डिफरेंट साइज
58.	वर्टिकल बी.पी. इन्सट्रुमेन्ट
59.	सैल्फ रिटेनिंग रिट्रेक्टर
60.	बोन ड्रिल मशीन
61.	बोन कटर
62.	गिग्ली सा
63.	स्कूप
64.	पैरीआस्टियम एलीवैटर
65.	मैग्लर फॉरसेप्स
66.	ई.टी.ट्यूब्स ऑफ डिफरेंट साइज
67.	हाई प्रेशर आटोक्लेव
68.	फ्यूमिगेटर
69.	रेफरीजिरेटर

70.	नाइट्रस आक्साइड सिलिंडर
71.	एग्जास्ट फैन
72.	एक्स-रे व्यू बॉक्स
73.	आटोलेनिन वाशिंग मशीन
74.	हाइड्रोलिक ऑपरेशन टेबल
75.	शैडोलेस लैम्प सीलिंग
76.	एनस्थीसिया ट्राली / बाएल्स अपैरेटस
77.	इन्स्ट्रुमेंट ट्राॅली
78.	इन्डो ट्रेकिंगल ट्यूब
79.	अम्बू बैग
80.	प्राक्टोस्कोप विद या विदआउट इल्युमिनेशन
81.	रिवाल्विंग स्टूल
82.	ग्रेब्रिल सिरिन्ज
83.	स्ट्रेचर ट्राली
84.	मास्किटो फॉर्सप्स
85.	पाइल होल्डिंग फॉर्सप्स
86.	नीडिल होल्डर
87.	बी.पी. एप्रेटस
88.	सक्शन मशीन
II	ऐन (आई) नेत्रीय शल्यकर्म के लिए आवश्यक उपकरण/यन्त्र
89.	कोएक्सियल इल्युमिनेशन एण्ड फुट कंट्रोल के साथ आपरेटिंग माइक्रोस्कोप
90.	बइपोलार वेट फील्ड काट्री
91.	मिनी हैलोजन लाईट (टेबल माउंटिंग)
92.	आपथैल्मिक ऑपरेशन टेबल हेड रेस्ट सहित
93.	स्टैरिलाइजिंग बाक्स / मैट्स सहित केस
94.	लैन्स इन्सर्शन फॉर्सप्स
95.	किराटोम
96.	बराकवयर वायर स्पैक्यूलम (युवा / वयस्क / बाल्यावस्था)
97.	डिस्मार्स लिड रिट्रेक्टर
98.	कैट पाव लैकिमल रिट्रेक्टर
99.	म्यूलर लैकिमल सैक रिट्रेक्टर
100.	डस्टूर आइरिस रिट्रेक्टर
101.	कास्ट्रो विजो कैलीपर
102.	मीयरहाफर चेलेजियन क्युरेट
103.	सिंस्काई लैन्स मैनिपुलेटिंग हुक
104.	आई.ओ.एल. मैनिपुलेटर
105.	फारेन बाडी स्पड
106.	लैविस लैन्स लूप (वैक्टिस)
107.	सिस्टोटोम एण्ड स्पून
108.	म्यूल एविसरेशन स्पून
109.	वैल्स इन्युक्लेशन स्पून

694 GI/13-8

110.	आइरिस रिपोसिटरी (डबल-एण्डिड)
111.	टुक्स कार्निअल नाइफ
112.	ग्रेफ स्ट्रेबिस्मस हुक
113.	जेमसन मसल हुक
114.	स्मिथ लैन्स एक्सप्रेसर
115.	विल्स काट्टी विद कापर बाल पाइंट
116.	बराक्वयर ब्लेड ब्रेकर एण्ड होल्डर
117.	लैंग्स लैकिमल सैक डिसेक्टर
118.	कैली ग्लूकोमा पंच
119.	वैस्ट लैकिमल चिसल
120.	इलिवेटर (डबल इण्डिड)
121.	मैलेट
122.	नेसल स्पैकुलम (युवा/बाल्यवास्था हेतु)
123.	पिगटेल प्रोब विद सूचर होल
124.	वाइल्डर पक्कम डाइलेटर
125.	बोमैन लैकिमल प्रोब्स
126.	टॉवेल क्लैम्प
127.	हार्टमैन मासक्यूटो फॉर्सेप्स
128.	कोलिब्रो फॉर्सेप्स 1x2 टीथ
129.	टाइंग प्लेट फार्म के साथ मैक फेर्सन कार्निअल फॉर्सेप्स
130.	केलमैन मैक फेर्सन एंग्लड फॉर्सेप्स
131.	मैक फेर्सन टाइंग फॉर्सेप्स
132.	ड्रेसिंग फॉर्सेप्स, सिरेटड
133.	मूर फील्ड कंजक्टिवल फॉर्सेप्स
134.	फिक्सेशन फॉर्सेप्स
135.	बीर सीलिया (एपिलेशन) फॉर्सेप्स
136.	अरुगा कैप्सुलर फॉर्सेप्स
137.	स्नैलन एन्ट्रोपियान क्लैम्प
138.	चलैज़ियन क्लैम्प
139.	कैस्ट्रोविजो कार्निअल सिज़र
140.	आइरिस सिज़र
141.	वैस्टकॉट टेनोटामी सिज़र
142.	वन्नास स्ट्रेट सिज़र
143.	डी-वेकर आइरिस सिज़र
144.	स्ट्रेबिस्मस सिज़र
145.	इन्यूक्लेशन सिज़र
146.	बराक्वयर नीडल होल्डर
147.	कास्ट्रोविजो माइक्रो नीडल होल्डर
148.	सिल्कोक नीडल होल्डर सिड लाक सहित
149.	एयर इन्जेक्शन कैन्थूला
150.	हीलॉन एस्पिरेटिंग कैन्थूला
151.	ए.सी.वास कैन्थूला
152.	लैकिमल कैन्थूला

153.	हाइड्रोलाइसिस कैन्थूला
154.	जे-लूप कैन्थूला (राइट/लेफ्ट विद सिलिकान ट्यूबिंग)
155.	सिम्को डायरेक्ट आई/ए कैन्थूला विद सिलीकॉन ट्यूबिंग
156.	इरिगेटिंग एस्पाइरेटिंग हैण्डल
157.	लैस डायलर
158.	सुपीरीयर रेक्टस फारसेप्स
159.	आई वास ग्लासेस
160.	स्विमिंग गागल्स
<b>III</b>	<b>ऐन-उज्ज-अन्फ वा हलक शल्यकर्म हेतु आवश्यक उपकरण/यन्त्र हेतु विवरण</b>
161.	ऑरल सिरिज
162.	जॉबसन्स ऑरल प्रोब
163.	यूस्टेशियन कैथेटर
164.	मैस्टाइड रिट्रेक्टर
165.	मैस्टाइड गॉग
166.	मैलट
167.	मैस्टाइड सैल सीकर विद स्कूप
168.	नेजल फारेन बॉडी हुक
169.	नेजल पैकिंग फारसेप्स
170.	एट्रल ट्रोकर कैन्थूला
171.	एट्रल बर
172.	नेजल स्नेर
173.	फ़ीरस सेप्टल नाइफ
174.	बैलिंगर्स स्वीवेल नाइफ
175.	बेयोनेट शेपड गॉज
176.	वाल्समैन फारसेप्स
177.	लैरिन्जियल फारसेप्स
178.	बॉयल डेविस माउथ गॉग
179.	टंग प्लेट विद थ्राट सक्सन
180.	टांसिल होल्डिंग फारसेप्स
181.	टांसिलर सक्सन
182.	टांसिलर डिसेक्टर
183.	टांसिलर स्नेयर
184.	गिलोटिन
185.	एडिनायड क्यूरेंट विद केज
186.	पेरीटांसिलर एब्सिस डेनिंग फारसेप्स
187.	फूलर्स ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब
188.	स्टेरिलाइजर बाक्स
189.	चीटल्स फारसेप्स
190.	अन्य प्रयोग होने वाला सामान गल्प्स, सिरिज, बैन्डेजस सूचर्स आदि
191.	इ.एन.टी. आपरेटिंग माइक्रोस्कोप एण्ड लैस

## (ज) बहिरंग रोगी विभाग में आवश्यक उपकरण एवं यंत्रों का विवरण

क.सं.	बाह्य रोगी विभाग	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् के मानकों के अनुसार अपेक्षित उपकरण, यंत्र एवं फर्नीचर इत्यादि
1.	मुआलाजात	एक्स-रे व्यू बाक्स
		बी.पी. एप्रेटर्स
		स्टेथोस्कोप
		परीक्षण टेबल
		थर्मामीटर
		टंग डिप्रेसर
		कॉटन बाल्स
		टार्च
		मेजरिंग टेप
		वजन एवं लम्बाई मापक स्टैंड
		नी हेमर
		वॉशबेसिन
2.	जराहत	हाथ धोने की व्यवस्था
		ड्रेनेज फैसिलिटी
		माइनर ओ.टी.
		एनोरेक्टल परीक्षण हेतु उपकरण
		परीक्षण टेबल
		बी.पी. एप्रेटर्स
		थर्मामीटर
		सर्जिकल ब्लेड
		कॉटन बाल्स
		गॉज पीसेज
		एक्स-रे व्यू बाक्स
		स्टेथोस्कोप
		चीटल फारसेप्स
		टार्च
3.	ऐन-उज़न-अन्फ-हलक व असनान	ट्यूनिंग फोर्कस
		आपथैल्मोस्कोप / फंडोस्कोप
		आरो स्कोप
		परीक्षण टेबल
		एक्स-रे व्यू बाक्स
		बी.पी. एप्रेटर्स
		स्टेथोस्कोप
		थर्मामीटर
		इ.एन.टी. किट
		टार्च
		बुल्स लैम्प



4.	कबालत व आमराजे निस्वां	वजन मापक संयंत्र सिम्स स्पैक्यूलम थर्मामीटर कस्कोस स्पैक्यूलम परीक्षण टेबल लैम्प स्टैण्ड टार्च एक्स-रे व्यू बाक्स बी.पी. एप्रेटस स्टेथोस्कोप मेजरिंग टेप वासबेसिन
5.	अमराजे अतफाल	स्केल वजन मापक संयंत्र टार्च व्यू बाक्स थर्मामीटर बी.पी. एप्रेटस स्टेथोस्कोप परीक्षण टेबल
6.	इलाज बिद तदबीर	मुआलाजत के अनुसार मसाज टेबल, जॉक हेतु ग्लास टैंक, कपिंग सेट्स, वेनेसेक्शन सेट इत्यादि

टिप्पणी:- बाह्य रोगी विभाग में प्रशिक्षुओं/छात्रों हेतु बैठने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए।

प्रेमराज शर्मा, निबन्धक-सह-सचिव

[विज्ञापन III/4/124/12/असा.]

टिप्पणी : अंग्रेजी एवं हिन्दी विनियम में कोई विसंगति पायी जाती है, तो अंग्रेजी विनियम नामतः भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (यूनानी महाविद्यालयों एवं संलग्न अस्पतालों के न्यूनतम मानक आवश्यकताएँ) विनियम, 2013 को अन्तिम माना जायेगा।

694 GI/13-9

**CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE****NOTIFICATION**

New Delhi, the 19th February, 2013

**No. 11-134/2012-Unani (MSR).**—In exercise of the powers conferred by clause (j) of section 36 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970), the Central Council of Indian Medicine, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely:-

**1. Short title and commencement.**-(1) These regulations may be called the Indian Medicine Central Council (Minimum Standard Requirements of Unani Colleges and attached Hospitals) Regulations, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Definition.**- (1) In these regulations, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970);

(b) "college" means an Unani College or Institute conducting or proposed to conduct degree course of Unani;

(c) "attached hospital" means a teaching Unani hospital attached to the college.

(2) The words and expression used herein and not defined but defined in the Act shall have the respective meanings assigned to them in the Act.

**3. Minimum Standard Requirements.**-(1) The Unani colleges established under section 13A of the Act and existing Unani colleges under section 13C of the Act and their attached hospitals shall fulfill the minimum standard requirements of infrastructure and teaching and training facilities referred to in the regulations 4 to 11 by the 31<sup>st</sup> December, 2014 for consideration of grant of permissions for undertaking admissions in the coming academic years.

(2) If a college fulfills the requirement by the 31<sup>st</sup> December, 2014 as per these notified regulations, it shall be granted permission to undertake admissions for a period not exceeding five years during which the college shall not be inspected, except for random checks on receipt of any complaint, or otherwise as deemed necessary either by the Central Government or by the Central Council of Indian Medicine. The Central Council shall visit the college *suomoto* three months before the expiry of permission.

(3) The conditional permission shall be granted only to those colleges which are fulfilling at least the requirement of teachers as specified in the Schedule-V, the requirement of functional hospital as specified at sub-regulation (2) of regulation 7 and availability of equipment as specified in the Schedule-VII for each academic year 2013-14 and 2014-15 on the basis of the separate

inspections to be carried by the Central Council of Indian Medicine after the 15<sup>th</sup> May, 2013 for the academic year 2013-14 and after the 31<sup>st</sup> December, 2013 for the academic year 2014-15. Such conditionally permitted colleges or which have been denied permission during academic year 2013-14 and/or 2014-15, will be required to fulfill the requirements as specified in these regulations by the 31<sup>st</sup> December, 2014. The increasing of teaching departments from 7 to 14 as stipulated in Schedule II in existing Unani colleges for the academic year 2013-14 is optional but will be mandatory from the academic year 2014-15.

- (4) All the existing colleges, which are not able to achieve full compliance of the requirement as specified in these regulations by the 31<sup>st</sup> December, 2014, shall be denied permission from academic year 2015-16 onwards and action as envisaged under section 21 of the Act shall be initiated against all such colleges apart from rejection of their applications under sections 13A or 13C, which have been under consideration by way of conditional permissions or denials.

**4. Requirement of Land.-** The total build up area required for adequate infrastructure including medical college, hospital and other infrastructure required under these regulations, is made available in a single piece of land, not less than three acres, for an intake capacity up to sixty seats. For intake capacity from sixty one to hundred seats, the land shall not be less than five acres and in not more than two plots at a distance not exceeding two kilometer. The plot, if separated by a road or canal or rivulet but connected with a bridge, will be treated as one piece of land. The total constructed area shall be based upon the permissible Floor Area Ratio (FAR) or Floor Space Index (FSI) allowed by the competent authority or local laws or rules. A certificate from the local municipal authority certifying or approving the construction plan of the proposed buildings having the required construction area as per the Schedule-I and the Schedule-II which can be accommodated in the piece of land, must be provided at the time of applying for permission of the Central Government. The land should be owned by the college or possessed on lease, in the name of the college, for a period of not less than ninety nine years or the maximum permissible period as per the rules or regulations of the respective State Government or Union territory. Renewal of permission shall, however, be required on expiry of lease. The requirement of the size and possession of the land is not applicable for the colleges established prior to the 7<sup>th</sup> November, 2003, but at the end of the current lease period, such college should either own the land or get it on the lease for a period of not less than ninety-nine years or the maximum permissible period as per the rules or regulations of the respective State Government or Union territory.

**Explanation.-**The Floor Area Ratio or Floor Space Index is the ratio of the total floor area of buildings on a certain location to the size of the land of that location, or the limit imposed on such a ratio.

**5. Requirement of minimum constructed area.-** (1) The college and attached hospital shall have the constructed area of two thousand square meter each for intake capacity up to sixty seats. The college and attached hospital which have intake capacity of sixty-one to hundred seats shall have the constructed area of four thousand and three thousand and five hundred square meters respectively. The college and hospital should be constructed in separate buildings as per the details specified in Schedule-I and Schedule-II. The requirement of separate college and hospital buildings will be applicable only for the colleges established after the date of this notification.

(2) The college shall also maintain other infrastructural requirements like sufficient accommodation to work comfortably, for college and hospital staff, outdoor and indoor games facility, civil and electrical services and workshop and adequate parking space within the campus of college and hospital. The herbal garden shall have the minimum area as prescribed in Schedule-III.

6. **Admission Capacity.**—The annual intake capacity in under graduate course will be in the slabs of sixty and hundred. If any college has the intake capacity of less than sixty or between sixty one and hundred seats, it has to comply with the requirements for sixty or hundred seats respectively, as mentioned in Schedules-I to Schedule-VII.

7. **Requirements of teaching Hospital.**—(1) The teaching hospital shall fulfill all the statutory requirements of the concerned State or Union territory or local authority to establish and run the hospital and shall submit the updated certified copies of such permission(s) or clearance(s) to the Central Government and the Central Council. The concerned State Government or Union territory shall verify the availability of such permission(s) or clearance(s) before issuing the No Objection Certificate to such applicant colleges.

(2) **Requirement of beds, bed occupancy and Out Patient Department attendance.**— The ratio of students with number of beds, In-Patient Department bed occupancy and Out-Patient Department attendance shall be 1:1, forty percent. and 1:2 respectively for under graduate course, as given in Table below and the distance between two beds in general ward should not be less than one and a half meter.

**Table**

<b>Intake capacity per year</b>	<b>Minimum number of beds in Patient Department on the 1:1 student-bed ratio</b>	<b>Minimum per day average number of patients in In-Patient Department during last one calendar year (365 days) (40% bed occupancy)</b>	<b>Minimum per day average number of patients in Out-Patient Department during last one calendar year (300 days) (1:2 student-patient ratio)</b>
Up to 60 students	60 beds	24	120
61 to 100 students	100 beds	40	200

(3) **Maintenance of record of attendance of Out-Patient Department and In-Patient Department patients.**—The College and hospital shall maintain the computerized central registration system for maintaining the records of patients in Out-Patient Department and In-Patient Department, and the college shall also maintain the Department wise Out-Patient Department and In-Patient Department records, laboratory and radiological investigation reports, medicines dispensing register, diet register for In-Patient Department patients, duty roster of hospital staff, birth and death certificates, etc. so as to substantiate the claim of genuine functional Unani hospital, fulfilling the norms as specified in the sub-regulation (2).

(4) Space requirement.-The hospital shall be suitably spacious to accommodate Out-Patient Department and In-Patient Department containing wards in addition to reception, patients' waiting area, dispensing room, dressing room, clinical laboratory, radiology section, kitchen, service rooms, medical record-room, Ilaj Bid Tadbeer therapy section, operation theatre, labour room, store rooms, separate wards for male and female, duty rooms for Doctors, Nurses and other staff etc. for a fully functional hospital, and the specification of built up area in the attached hospital shall be as per Schedule-I.

(5) Out-Patient Department.-The hospital shall have minimum six following Out-Patient Departments, namely-

- (a) Moalajat (Medicine)
- (b) Jarahat including Ain, Uzn, Anaf, Halaq wa Asnan  
(Surgery including Eye, ENT and Dental)
- (c) Qabalat wa Amraz-e-Niswan (OBG)
- (d) Amraze Atfal (Pediatrics)
- (e) Amraze Jild wa Tazeeniyat (Skin and Cosmeticology)
- (f) Tahaffuzi wa Samaji Tib (Community Medicine)

**NOTE:** In addition of above, there will be a separate section of Ilaj Bit Tadbeer.

(6) In-Patient Department.- The In-Patient Department of the hospital shall have separate male and female wards and distribution of beds shall be as under:

S.No.	In Patient Departments	Distribution	60 beds	100 beds
1.	Moalajat including Ilaj bit Tadbeer and& Amraz-e- Jild wa Tazeeniyat)	50% beds	30	50
2.	Jarahat including Ain, Uzn, Anaf wa Halaq	25% beds	15	25
3.	Qabalat wa Amraze Niswan wa Atfal	25% beds	15	25

(7) Tashkhees Amraz (Clinical Laboratory for clinical diagnosis and investigations).- There shall be a clinical laboratory in the hospital complex with proper infrastructure and manpower as specified in Schedule I, Schedule-IV, Schedule-V and Schedule-VII for carrying out routine, pathological, biochemical and hematological investigations and Unani diagnostic techniques on the patients referred from Out-Patient and In-Patient Departments of the hospital.

(8) Hospital Staff.-The minimum staff required for a sixty bedded hospital shall be as specified in the Schedule-IV and it shall be liable to be increased proportionately in accordance with the increase in required bed strength.

694 GI/13-10

**8. Requirements of College.**-(1) Teaching Staff: There shall be a minimum of thirty full-time teachers and forty- five full-time teachers appointed on regular basis for intake capacity of up to sixty students and sixty one to hundred respectively with the addition of eight part-time teachers of Modern Medicine for each slab, as specified in the Schedule-V.

(2) Age of Teachers.-The age of superannuation of teachers shall be as per the Central Government or State Government or University Grant Commission norms as already applicable in that particular Institute, and the retired teachers, fulfilling the eligibility norms of teachers can be re-employed up to the age of sixty-five years as full-time teacher.

(3) Requirement of technical and other staff.- Technical and other staff in various units and departments of the college shall be as per the details given in Schedule-VI.

**9. Miscellaneous requirements.**-(1) Office Support.-Dean, Medical Superintendent and each department shall have independent computer and printer facility.

(2) College Council.-(a) Every medical college or Medical Institution shall have a College Council comprising of the Head of Departments as members and Principal or Dean as Chairperson.

(b) The College Council shall meet at least four times in a year to draw up the details of curriculum and training programme, enforcement of discipline and other academic matters.

(c) The College Council shall also organize interdepartmental meetings like grand rounds, statistical meetings and clinical meetings including periodical research review in the Institution regularly.

(3) College Website.-Each and every college or institute shall have its own website, wherein the following details updated in the first week of every month shall be provided-

(a) details of Director or Dean or Principal and Medical Superintendent including their name, age, registration number, qualification, date of joining, complete address with telephone or mobile numbers and State Trunk Dialing code, fax and E-mail etc;

(b) details of teaching staff along with their photograph, registration number, date of birth, qualification, experience, Department etc.;

(c) details of the non-teaching staff of college and hospital staff along with their department;

(d) details of the sanctioned intake capacity of various courses under graduate as well as post graduate;

(e) list of students admitted, merit-wise, category-wise (under graduate and post graduate) for the current and previous year;

(f) any research publications during the last one year;

(g) details of any Continuous Medical Education (CME) programmes, conferences and/or any academic activities conducted by the institution;

(h) details of any awards and achievement received by the students or faculty;

(i) details of the affiliated University and its Vice-Chancellor and Registrars;

(j) result of all the examinations of last one year;

(k) detailed status of recognition of all the courses; and

(l) details of clinical material in the hospital.

(4) Biometric Attendance.-It is desirable to have biometric attendance supported with web camera based computerized attendance system for teaching, non teaching college staff and hospital staff.

**10. Phase wise specific requirements of new colleges.-** (1) An Unani college seeking permission for starting Kamile tib wa Jarahat (Bachelor of Unani Medicine and Surgery) Course under the provisions of section 13A of the Act, shall establish infrastructure and manpower in phased manner, as provided in sub-regulations (2) to (5) of this regulation.

- (2) Before admission of the first batch of students, the college shall have-
- (a) at the time of submission of application, there should be a fully developed hospital building with functional Unani hospital having appropriate number of beds, bed occupancy and Out- Patient Department attendance corresponding to the annual students intake capacity specified in the sub-regulation (2) of regulation 7 in the land earmarked for college and attached hospital for the last one year;
  - (b) all teachers with the requisite qualifications as mentioned in regulation 8, required for first professional year of teaching should be available and wherever there is shortfall of Professors, equal number of Readers shall be appointed;
  - (c) at least one specialist doctor or clinical teacher, each of Moalajat, Ilaj Bid Tadbeer, Jarahat, Ain, Uzn, Anaf wa Halaq, Amraze Niswan wo Ilmul Qabalat and Amraze Atfal appointed for operating the hospital;
  - (d) a library with two thousand books, seating capacity of fifty persons for upto sixty admissions and eighty persons seating capacity for sixty-one to hundred admissions and adequate staff;
  - (e) a properly furnished and well-equipped two lecture halls and teaching departments and laboratories and museums essential for the first professional year teaching;
  - (f) a medicinal plants garden covering over two thousand and five hundred square meter of land and four thousand square meter of land for sixty seats and sixty-one to one hundred seats respectively with plantation of at least fifty species of medicinal plants; and
  - (g) fifty percent of paramedical, supporting and other hospital staff on the posts sanctioned for the purpose, on regular or contractual basis as per norms.
- (3) The college will be visited at least three months before the admission of the second batch of students and at that time the college shall have-
- (a) all teachers with the requisite qualification as mentioned in regulation 8 and non-teaching staff required for the first and the second professional years of teaching and training should be appointed, and wherever there is shortfall of Professors, equal number of Readers shall be appointed;
  - (b) at least one specialist doctor or one clinical teacher in each of Moalajat, Ilaj bid tadbeer, Jarahat, Ain-Uzn-Anaf wa Halaq, Amraze Niswan wo Ilmul Qabalat and Amraze Atfal departments for working in the college hospital;
  - (c) a library with five thousand books, seating capacity of fifty persons for upto sixty admissions and eighty persons seating capacity for sixty-one to hundred admissions and adequate staff;
  - (d) a properly furnished and well-equipped three lecture halls and teaching departments, laboratories and museums, essential for first and second professional years of teaching;

- (e) seventy five species of medicinal plants in herbal garden;
  - (f) fully developed buildings for hospital, college and teaching laboratories, and teaching pharmacy;
  - (g) there should be a fully developed hospital building with functional Unani hospital having appropriate number of beds, bed occupancy and Out-Patient Department attendance corresponding to the annual students intake capacity specified in the sub-regulation (2) of regulation 7;
  - (h) seventy-five percent of the paramedical, supporting and other hospital staff on the posts sanctioned for the purpose, on regular or contractual basis as per norms; and
  - (i) There shall be a Teaching Pharmacy and Quality Testing Laboratory attached to Department of Saidla with minimum area as specified in Schedule –II and equipment as per Schedule-VII for preparation of medicine as per syllabus.
- (4) The College will be visited at least three months before the admission of third batch of students and at that time the college shall have.-
- (a) all teachers with the requisite qualification as mentioned in regulation 8 and non-teaching staff required for the first, second and third professional years of teaching and training should be appointed, and wherever there is shortfall of Professors, equal number of Readers shall be appointed;
  - (b) at least one specialist doctor or one clinical teacher in each of Moalajat, Ilaj bid Tadbeer, Jarahat, Ain-Uzn-Anaf\_wa Halaq, Amraze Niswan wo Ilmul Qabalat and Amraze Atfal departments for working in the college hospital;
  - (c) a library with five thousand books, seating capacity of fifty persons for upto sixty admissions and eighty persons seating capacity for sixty-one to hundred admissions and adequate staff;
  - (d) a properly furnished and well-equipped three lecture halls and teaching departments, laboratories and museums, essential for first, second and third professional years of teaching;
  - (e) one hundred species of medicinal plants in herbal Garden;
  - (f) fully developed buildings for hospital, college and laboratories and teaching pharmacy;
  - (g) there should be a fully developed hospital building with functional Unani hospital having appropriate number of beds, bed occupancy and Out-Patient Department attendance corresponding to the annual students intake capacity specified in the sub-regulation (2) of regulation 7;
  - (h) seventy-five percent of the paramedical, supporting and other hospital staff on the posts sanctioned for the purpose, on regular or contractual basis as per norms; and
  - (i) there shall be a Teaching Pharmacy (Saidla) and Quality Testing Laboratory attached to Department of Saidla with minimum area as specified in Schedule –II and equipment as per the Schedule-VII for preparation of medicine as per syllabus.
- (5) Before the admission of the fourth batch of students, the college shall have.-
- (a) all teachers with the requisite qualification as mentioned in regulation 8 in the concerned subject and non-teaching staff required for the first, second, third and fourth i.e. final professional years of teaching and training;



- (b) all infrastructure and manpower requirements of college, hospital and other units in accordance with the specified norms;
- (c) a library with seven thousand and five hundred books, seating capacity of fifty persons for upto sixty admissions and eighty persons seating capacity for sixty-one to hundred admissions and adequate staff;
- (d) there should be a fully developed hospital building with functional Unani hospital having appropriate number of beds, bed occupancy and Out-Patient Department attendance corresponding to the annual students intake capacity specified in the sub-regulation (2) of regulation 7;
- (e) fully functional laboratories and pharmacy with drug testing facilities; and
- (f) assured round the clock availability of medical services including medicines, paramedical staff, doctors and emergency management in the hospital.
- (6) The permission to establish a medical college and admit students may be granted initially for a period of one year and may be renewed on yearly basis subject to verification of achievement of annual targets as mentioned under regulation 10, and it shall be the responsibility of the college to apply to the Council for purpose of renewal six months prior to the expiry of the initial permission. This process of renewal of permission will continue till such time the establishment of the medical college is completed for passing-out of the first batch.
11. **List of equipments, machineries, etc.**-To ensure proper provision of teaching and training material to the students, the colleges shall possess the minimum ninety percent of required equipments, machineries etc. in the teaching departments, hospital, laboratories and dissection hall, library, pharmacy and other units of the college in sufficient numbers, as specified under the Schedule-VII.

#### SCHEDULE-I

[See regulation 4, sub-regulation (1) of regulation 5, regulation 6, sub-regulations (4) and (7) of regulation 7]

#### REQUIREMENT OF AN ATTACHED HOSPITAL OF UNANI COLLEGE

S.No	Particulars	Built up area (in sq.mt.)	
		Up to 60 students intake	61 to 100 students intake
1	2	3	4
I.	<b>Total constructed area of hospital building</b>	2,000	3500
II.	<b>Hospital Administration Block:</b>	100	150
1.	Superintendent room		
2.	Deputy Superintendent room		
3.	Medical officer's ( for 2 Resident Medical Officer/Resident Surgical Officer)		
4.	Matron room		
5.	Assistant Matron room (for 2)		
6.	Reception and Registration		

694 GI/13-11

<b>III.</b>	<b>Out-Patient Departments (OPD)</b>	300	500
1.	Moalajat OPD with wash basin		
2.	Jarahat including Ain, Uzn, Anaf, Halaq wa Asnan OPD with wash basin and Examination Room		
3.	Qabalat wa Amraze Niswan OPD with toilet and Examination Room		
4.	Amraze Atfal OPD with wash room		
5.	Amraze Jild wa Tazeeniyat OPD with wash basin		
6.	Tahaffuzi wa Samaji Tib OPD with wash basin		
7.	Dressing and First Aid Room		
8.	Dispensary		
9.	Waiting Space for patients		
10.	Store		
11.	Male and Female Toilet for patients		
<b>IV.</b>	<b>In-Patient Department(IPD)</b>	900	1650
1.	Moalajat including Ilaj bit Tadbeer Male Ward with attached toilet and bath room		
2.	Moalajat including Ilaj bit Tadbeer Female Ward with attached toilet and bath room		
3.	Jarahat including Ain, Uzn, Anaf, Halaq wa Asnan Male Ward with attached toilet and bath room		
4.	Jarahat including Ain, Uzn, Anaf, Halaq wa Asnan Female Ward with attached toilet and bath room		
5.	Niswan wa Qabalat Ward with attached toilet and bath room		
6.	Amraze Atfal Ward with attached toilet and bath room		
7.	Doctors' duty room one for each department with attached toilet- bath		
8.	Nursing staff duty rooms, one in each ward with attached toilet-bath		
9.	Store room for linen, etc.		
<b>V.</b>	<b>Operation Theatres Block</b>	150	250
1.	Major Operation Theatre		
2.	Minor Operation Theatre		
3.	Labour Room with attached toilet and bath room		
4.	Neonatal care room		
5.	Central Sterilization or autoclave unit		
6.	Scrub room		
7.	Two Recovery room		
8.	Doctors' duty room with attached toilet and bath room		
9.	Interns or house officer or resident doctors room with attached toilet and bath room.		
10.	Nursing staff room with attached toilet and bath room		

<b>VI.</b>	<b>Ilaj bit Tadbeer Block:</b>	275	500
1.	Hammam		
2.	Dalak		
3.	Riyazat		
4.	Fasad		
5.	Kai,		
6.	Alq, Hajamatetc		
7.	Ilaj bil Tadbeer therapist Physicians Room		
8.	Ilaj bil Tadbeer Store room		
9.	Physiotherapy room		
<b>VII.</b>	<b>Central Laboratory:</b> Well equipped and spacious area with separate sections for Pathology, Biochemistry and Microbiology. Attached toilet shall be there for collection of urine samples. Other latest diagnostic facilities such as ECG also shall be provided.	100	150
<b>VIII.</b>	<b>Radiology or Sonography section</b> Radiology chamber with X-ray room, Dark room, film drying room, store room, USG room, patients waiting and dressing room, reception or registration or report room	50	100
<b>IX.</b>	<b>Hospital Kitchen and Canteen:</b>	100	150
<b>X.</b>	<b>Store room</b>	25	50
	<b>TOTAL</b>	<b>2,000</b>	<b>3,500</b>

**Note.-**

1. The above indicated subdivided area among various components may vary within plus or minus twenty per cent but the total area of attached hospital should be as per the area mentioned at regulation 5.
2. The breakup of built up area requirement of the attached hospital of an Unani College with annual intake capacity of sixty-one to hundred students will correspondingly increase keeping in view the total requirement of area as mentioned at regulation 5.
3. The requirement of attached toilet with each Out-Patient Department is applicable for the colleges established after the date of this notification.

**SCHEDULE-II**

[See regulation 4, sub-regulation (1) of regulation 5, regulation 6 and sub-regulation (7) of regulation 7]

**REQUIREMENT OF AN UNANI COLLEGE**

S. No (1)	Particulars (2)	Built up area (in sq.mt.)	
		Up to 60 students intake	61 to 100 students intake
		(3)	(4)
	Total constructed area of college building	2,000	4,000
(1)	Administrative Section.- Administrative section of the college shall include Principle's Room, Personal Assistant's Room, Reception, Visitor's lounge, Staff Committee Room, Clerk's room and Accounts section, Record room, Central Store and separate toilets for gents and ladies.	150	300
(2)	Lecturer Halls.- There shall be five Lecturer halls of eighty square meter for sixty students and five Lecture halls for above sixty-one to hundred students, of one hundred sixty square meter area, with proper electricity supply, audio-visual teaching aids, fans or coolers and comfortable sitting arrangement preferable theatre type. Separate toilets for boys and girls shall be constructed in each floor.	400	800
(3)	Seminar or Conference or Examination Hall.- A large hall with sitting capacity for four hundred to five hundred persons shall be available within the college premises for meetings, seminars, conferences, symposia, examination, counseling etc. The hall shall have adequate electrical and sitting arrangement and audio-visual system facilities.	150	300
(4)	Library.- A library shall have seating capacity for fifty students for sixty intake capacity and eighty students for hundred intake capacity, adequate number of shelves or almirahs, sufficient space for keeping stocks, separate reading room for teachers, librarian's room, photocopier or video room computer with printer and internet facility. The library shall have proper light arrangement, fans or coolers, drinking water arrangement and toilet facilities. The library shall have two thousand five hundred books of different titles of Unani, modern medicine and allied sciences at the time of first admission of students. The number of books shall increase to five thousand before the admission of second and third batches of students and seven thousand five hundred before the admission of fourth batch of students. The college with existence for five years or more shall have ten thousand books.	100	200

(5) Teaching Departments: There shall be fourteen Teaching Departments each with rooms for teachers, a small departmental library, a small office, working accommodation for non-teaching staff and a museum or laboratory or dissection hall or tutorial room as per requirement of individual department.	Total 1200 sq.mt. and break up may be as follows:	Total 2400 sq.mt. and break up may be as follows:
Department wise area requirement shall be as under:- (i) Deptt. of Kulliyat plus Departmental library cum tutorial room;	50	100
(ii) Deptt. of Tashreeh ul badan and a well-ventilated Dissection Hall with exhaust fans and preferable air-conditioned, a room for students with adequate lockers and wash basins, an embalming room with a storage tank or freezer for four dead bodies and Tashreeh ul badan museum with optional micro-anatomy laboratory;	125	250
(iii) Deptt. of Munafe-ul-Aza and Munafe-ul-Aza (Physiology) laboratory with optional facility for bio-chemistry testing;	75	150
(iv) Deptt. of Ilmul Advia and Herbarium-cum Advia museum, Pharmacognosy, Pharmacology and drug testing labs;	100	200
(v) Deptt. of Saidla with teaching pharmacy;	75	150
(vi) Department of Tahaffuzi wa Samaji Tib plus museum;	75	150
(vii) Deptt. of Mahiyatul Amraz plus Pathology Laboratory;	50	100
(viii) Department of Moalajat;	75	150
(ix) Department of Ilaj bit Tadbeer;	50	100
(x) Department of Jarahat and museum cum tutorial room	75	150
(xi) Department Amraze Ain, Uzn, Anf wa Halaq and museum cum tutorial room;	75	150
(xii) Department of Niswan wa Qabala and museum cum tutorial room;	75	150
(xiii) Department of Amraze Atfal and museum cum tutorial room; and	50	100
(xiv) Department of Amraze Jild wa Tazeeniyat and tutorial room	50	100
<i>*Note- Working tables of all the laboratories should be of hard stone or stainless steel and there should be arrangement of proper shelves and running water taps in wash basins.</i>		

694 GI/13-12

(6)	Teaching Pharmacy and Quality Testing Laboratory: The college shall have a teaching pharmacy with proper training facilities for preparation of different types of Unani Medicines, a raw drugs store and in-house drug identification	100	200
(7)	Common Rooms: Separate common rooms for boys and girls with adequate space and seating arrangement shall be available.	50	100
(8)	Canteen: Canteen facility with sitting arrangement for about hundred persons shall be available in the college premise.	50	100
	<b>Total</b>	<b>2,000</b>	<b>4,000</b>

**Note.-**

The above indicated subdivided area among various components may vary within plus or minus twenty per cent but the total area of an Unani College should be as per the area mentioned at regulation 5.

**SCHEDULE-III**

[See sub-regulation (2) of regulation 5 and regulation 6]

**ALLIED INFRASTRUCTURE REQUIREMENTS OF AN UNANI COLLEGE**

Sl. No.	Particulars	Area (in square meter)	
		Up to 60 students	61-100 students
(1)	(2)	(3)	(4)
(1)	Herbal garden: A well-developed medicinal plant garden with one hundred species of medicinal plants.	2500	4000

**Note.-**

The above indicated area may vary within plus or minus twenty percent within the total area of Unani College as specified at regulation 4.

**SCHEDULE-IV**

[See sub-regulation (7) of regulation 7 and sub-regulation (8) of regulation 7]

**REQUIREMENT OF AN UNANI COLLEGE HOSPITAL STAFF**

S.No. (1)	Post (2)	Requirement (3)
1.	Hospital Superintendent	1. The incumbent to the post of Hospital Superintendent will be with the qualification not less than that of Professor. OR 2. Principal or Dean may function as ex-officio Hospital Superintendent. However, if there is an existing post of Hospital Superintendent, it shall continue to exist.
2.	Deputy Medical Superintendent	1. A recognized Post Graduate degree in Unani Medicine. 2. Full time regular incumbent with Post-graduate qualification in a clinical specialty other than the teaching staff. <i>Note.-</i> (1) <i>The above requirement of PG qualification is applicable to colleges established after the notification of this regulation.</i> (2) <i>Retired Medical Officer or Research Officer (non PG) with clinical experience may also be considered eligible for the post of Deputy Medical Superintendent.</i>
3.	Consultants	Teachers of clinical departments
4.	Resident Medical Officers/ Resident Surgical Officer/Medical Officers (RMO/RSO/MO)	05 (01 in Moalajat, 02 in Niswan wa Qabalat , 01 in Jarahat and 1 in Amraze Atfal )
5.	Matron/Nursing Superintendent	1
6.	Staff nurses for In Patient Deptt.	01 for every 20 beds
7.	Ward Boy or Ayah	1 for every 10 beds.
8.	Pharmacists	2
9.	Dresser	2
10.	Store Keeper	1
11.	Office Staff (for registration, record maintenance, data entry etc.)	2
12.	Dark-room Attendant	1
13.	Operation Theater Attendant	1

<b>Modern Medical Staff</b>		
14.	Medical Specialist	1 part time/on contract
15.	Surgical Specialist	1 part ime/on contract
16.	Obstetrician and Gynecologist	1 part time/on contract
17.	Pathologist	1 part time/on contract
18.	Anaesthesiologist	1 part time/on contract
19.	Ophthalmologist	1 part time/on contract
20.	Pediatrician	1 part time/on contract
21.	Radiologist	1 part time/on contract
22.	Dentist	1 part time/on contract
23.	Physiotherapist	1 part time/on contract
24.	X-Ray Technician/ Radiographer	1
<b>Staff for Ilaj bit tadbeer Therapy Section for Out-patient Department (OPD) and In-Patient Department (IPD)</b>		
25.	Ilaj bit tadbeer Specialists	Teachers of Ilaj bit tadbeer department.
26.	House Officer or Clinical Registrar or Senior Resident (Unani)	1
27.	Ilaj bit tadbeer Nurse	1 (in addition to the nurses indicated at S.No.6).
28.	Ilaj bit tadbeer Assistant	1 Male and 1 female
29.	Messieurs	1 Male and 1 female
<b>Staff of Operation Theatre</b>		
30.	Jarahat Specialists	Teachers of Ilmul Jarahat department
31.	Operation Theatre Attendant	1
32.	Dresser	1
33.	Nurses	01; these will be in addition to the nurses indicated at S.No.6.
<b>Labour Room</b>		
34.	Qabalat wa Amraze Niswan Specialists	Teachers of Qabalat wa Amraze Niswan department
35.	Midwife	1
<b>Clinical Laboratory</b>		
36.	Laboratory Technicians	2
37.	Peon or Attendant	2
<b>Teaching Pharmacy and Quality Testing Laboratory</b>		
38.	Pharmacy Incharge (Teachers of Ilmul Advia/Saidla deptt.)	1
39.	Peon or Attendant	1



40.	Workers	2
41.	Analytical Chemist (Part time)	1 (Lab Technician provided under non-teaching staff in the Deptt.)
42.	Pharmacognosist (Part time)	1 (Lab Technician provided under non-teaching staff in the Deptt.)

**Note: -**

- (1) For hospital with more than sixty beds, two incumbents each as Resident Medical Officers, Resident Surgical Officers, Assistant Matrons and Pharmacists shall be additionally required.
- (2) The hospital shall be equipped with adequate provision of security, civil and electrical, sanitation, dietary and canteen, laundry and waste incineration and disposal services.
- (3) Essential duty staff and services shall be available round the clock.
- (4) Services of the non-technical staff like Peon, Attendant, Sweeper, Guards, Washer man, Gardener and Cook etc. may be obtained by outsourcing.

**SCHEDULE-V**

[See sub-regulation (3) of regulation 3, regulation 6, sub-regulation (7) of regulation 7 and sub-regulation (1) of regulation 8]

**DETAILS OF TEACHING STAFF IN AN UNANI COLLEGE**

S. No	Teaching Department	Requirement of teaching staff					
		Upto 60 students			From 61 to 100 students		
(1)	(2)	(3)			(4)		
		Prof	Associate Prof.	Assistant Prof.	Prof	Associate Prof.	Assistant Prof.
1.	Kulliyat	1	or 1	1	1	1	1
2.	Tashreehul badan	1	or 1	1	1	1	1
3.	Munafeul Aza	1	or 1	1	1	1	1
4.	Ilmul Advia	1	or 1	1	1	1	1
5.	Ilmul Saidla	1	or 1	1	1	1	1
6.	Mahiyatul Amraz	1	or 1	1	1	1	1
7.	Tahaffuzi wa Samaji Tib	1	or 1	2	1	1	2
8.	Moalajat	1	or 1	2	1	1	2
9.	Niswan wa Qabalat	1	or 1	1	1	1	2
10.	Ilmul Atfal	1	or 1	1	1	1	1
11.	Jarahat	1	or 1	1	1	1	1
12.	Ain-Uzn.-Anf-Halaq wa Asnan	1	or 1	1	1	1	1

694 GI/13-13

13.	Amraze Jild wa Tazeeniyat	1 or 1	1	1	1	1
14.	Ilaj bit Tadbeer	1 or 1	1	1	1	1
		<b>14</b>	<b>16</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>17</b>
	<b>Total</b>		<b>30</b>		<b>45</b>	

**Note:**

- (i) Apart from above, one teacher of Arabic (to teach Arabic language as well as Mantiq-o-Falsafa), one teacher to teach Communication Skills and eight Consultants of Modern Medicine as specified at the Schedule-IV (SL. No.14 to 22) shall be engaged for teaching on part time basis. For Pre-tib additional teachers to teach science and English shall be engaged on contract or Part time basis.
- (ii) The deficiency of teachers for up to 60 intake capacity shall not exceed more than ten per cent of total requirement with availability of at least one teacher in each of 7 Departments (2013-14) / 14 Departments (2014-15). The total number of Higher Faculty shall not be less than 12 Professor/Reader distributed in at least 7 Departments (2013-14) / 11 Departments (2014-15). This relaxation is for seeking conditional permission to undertake admission for academic session 2013-14 and 2014-15 only and will not be available thereafter. For example- the college having up to sixty seats intake capacity shall have atleast 27 total faculties, out of which atleast 12 Professor/Reader covering not less than 7 Departments (2013-14) / 11 Departments (2014-15).
- (iii) The deficiency of total teachers for sixty-one to hundred intake capacity shall not exceed more than ten per cent of total requirement and deficiency of higher faculty shall not exceed more than twenty per cent of total teachers with availability of at least one Higher faculty and one Lecturer in each of 7 Departments (2013-14) / 14 Departments (2014-15). The total number of Higher Faculty shall not be less than 19. This relaxation is for seeking conditional permission to undertake admission for academic session 2013-14 and 2014-15 only and will not be available thereafter. For example- the college having sixty-one to hundred seats intake capacity shall have atleast 40 total faculties, out of which atleast 19 Professor/Reader covering all 7 Departments (2013-14) / 14 Departments (2014-15) Departments.
- (iv) The provision of Post Graduate qualification in allied subjects under regulation 12 of the Indian Medicine Central Council (Minimum Standards of Education in Indian Medicine) (Amendment) Regulations, 2012 shall be applicable also for the post of higher faculty (Professors and Readers) for a period of five years.

**SCHEDULE-VI**

[See regulation 6 and sub-regulation (3) of regulation 8]

**DETAILS OF TECHNICAL AND OTHER STAFF OF AN UNANI COLLEGE**

S.No. (1)	Department (2)	Post (3)	Requirement (4)
1.	Library	Librarian/Assistant Librarian	1
		Library Attendant or Peon	1.
2.	College Office	Clerical staff for administrative accounts services	4
3.	Kulliyat	Attendant	1
4.	Tashreehul badan	Laboratory Technician	1
		Museum Keeper	1
5.	Munafeul Aza	Laboratory Technician	1
		Museum Keeper	1
6.	Ilmul Advia	Laboratory Technician	1
		Museum Keeper	1
7.	Saidla	Dawasaz/Pharmacy Attendant	1
8.	Mahiyatul Amraz	Laboratory Technician	2
9.	Niswan wa Qabalat	Attendant	2
10.	Ilmul Atfal		
11.	Tahaffuzi wa Samaji tib		
12.	Moalajat		
13.	Jarahat		
14.	Amraze Ain, uzn, Anf wa Halaq		
15.	Ilaj bit Tadbeer		
16.	Amraze jild wa Tazeeniyat		
17.	Herbal Garden	Gardener	1
		Multipurpose worker	2

**Note.-**

The Sweeper, Attendant, Lifter, Laboratory Assistant, Data Entry Operator (DEO), Multipurpose Worker could be on contractual basis.

**SCHEDULE-VII**

[See sub-regulation (3) of regulation 3, regulation 6, sub-regulation (7) of regulation 7, sub-regulation (3)(i) of regulation 10 and regulation 11]

**(A). DETAILS OF EQUIPMENT AND INSTRUMENTS REQUIRED FOR DISSECTION HALL**

S.No.	NAME OF INSTRUMENT
1	Bone Cutters of various types and sizes
2	Forceps of various types
3	Chisels
4	dissecting scissors of various types and sizes
5	Tagging
6	Knives of various types
7	Needles of various types
8	Dissection tables (full size)
9	Dissection table ( half size)
10	Laboratory trays
11	Glass jars with cover for specimen
12	Embalming machine
13	Rocking pump/foot sprayer
14	Disinfecting machine
15	Buckets
16	Formaldehyde solution
17	Carbolic acid
18	Sodium acetate
19	Potassium acetate
20	Disinfecting solution
21	Glycerin
22	Dummy cadaver and models of body parts
23	Whole body skeleton, bones, dissected/preserved body organs etc

**(B). DETAILS OF EQUIPMENT AND INSTRUMENTS REQUIRED FOR PHYSIOLOGY  
LABORATORY**

S.No	Essential Equipment and Instruments
1.	Microscopes with oil immersion
2.	Westergren's pipette for ESR
3.	Haematocrit Tube
4.	Sahli's Haemoglobinometer
5.	Haemocytometer
6.	Sphygmomanometer
7.	Stethoscopes
8.	Clinical Thermometer
9.	Knee Hammer
10.	Tuning forks
11.	Electrocardiograph
12.	Stop watches
13.	Water Distillation still
14.	Thermometers, balances, Microslides,
15.	Cover slips, glassware
16.	Centrifuge with speed control
17.	Colorimeter (photoelectric)
18.	pH meter Electric
19.	pH comparator with disc
20.	Refrigerator
21.	Newton's colour wheel In a batch
22.	Spirometer
23.	Tonometer
24.	Hydrometer
25.	Viscometer
26.	Osmometer
27.	Stalagmometer
28.	Sterilizer

694 GI/13-14

**(C) DETAILS OF EQUIPMENT AND INSTRUMENTS REQUIRED FOR SAIDLA  
LABORATORY**

<b>S.No.</b>	<b>Essential Equipment and Instruments</b>
1.	Pestle and Mortar-
a.	Small
b.	Medium
c.	Porcelain
d.	Iron
2.	Heating Device-
a.	Gas Stove
b.	Electric stove
c.	Hot plate
d.	Chulla (Charcoal)
3.	Vessels-
a.	Frying Pan
b.	Steel Vessel
c.	Spatula
d.	Ladles & Spoons
e.	Knife
f.	Plates
g.	Tongs
4.	Measuring Equipments Different Size (Glass)
5.	Big Vessels & Containers-
a.	Brass
b.	Copper
c.	Steel etc.
6.	Balance (Different Capacities)
a.	Physical
b.	Chemical
7.	Pounding Apparatus
8.	Sieves (Assorted Nos. & Size)
9.	Wet Grinder
10.	Mixi
11.	Juice Extractor
12.	Putas (Different kind)
13.	Pyrometer
14.	Thermo meter
15.	Pressure Cooker
16.	Crucibles

17.	Refrigerator
18.	Jars (Porcelain) Fermentation Purpose
19.	Distillation Apparatus including traditional methods such as Qara Ambiq, Nal Bhabka etc.
20.	Enamel Trays
21.	Spirit Lamp
22.	Microscope
23.	Earthen Vessels-Pots
24.	Almirahs & Racks for storage

**(D) DETAILS OF EQUIPMENT AND INSTRUMENTS REQUIRED FOR PHARMACOGNOSY LABORATORY**

S.No.	Essential Equipment and Instruments
1.	Field magnifier
2.	Compound microscope
3.	Dissecting Microscope
4.	Microscope
5.	Slides box with cover slips,
6.	Blotting/filter papers
7.	Electronic balance
8.	Dissection Box
9.	Enamel Trays
10.	<b>Reagents-</b>
a.	Chloroform
b.	Alcohol.
c.	HCL
d.	Sulphuric acid
e.	Sodium, potassium hydroxide
f.	Benedict solution
g.	Sodium nitrate
h.	Potassium nitrate
i.	Citric acid
j.	Iodine
k.	Ethyl Alcohol
l.	Potassium Iodide
m.	Xylol/pure xylene (slide preparation)

**(E). DETAILS OF EQUIPMENT AND INSTRUMENTS REQUIRED FOR MAHIYATUL AMRAZ LABORATORY**

S.No	Essential Equipment and Instruments
1.	Binocular microscope
2.	X-ray view box
3.	Sterile disposable lancer/needle
4.	Sahli's Square tube
5.	Hb pipette
6.	Dropper
7.	Glass rod
8.	WBC Pipette
9.	Improved Neubauers chamber
10.	Cover slip
11.	Red cell pipette
12.	Cleaned slides
13.	Incubator
14.	Wintrobe's tube
15.	Pasteur's pipette
16.	Centrifuge Graduate machine
17.	Westregren's pipette
18.	Rubber teat
19.	Westergren's stand
20.	Litmus paper
21.	pH indicator paper strips
22.	Urinometer
23.	Multi stix
24.	Bunsen burner
25.	Test tube
26.	Test tube holder
27.	Filter paper
28.	Steel almirah
29.	Steel rack
30.	Glass Jars with lid of different sizes
31.	Glass view rack
32.	Magnifying lens
33.	Autoclave
34.	Water bath
35.	Separating funnels of various sizes
36.	Stop watch
37.	Ultraviolet lamp
38.	Monocular microscope with oil emersion lens20(e)
39.	Capillary Tubes
40.	Hot air oven



41.	Microscope with oil immersion
42.	Refrigerators
43.	Sterile vessels/bottle to collect samples
44.	BP Apparatus
45.	Stethoscope
46.	Thermometer
47.	Tongue depressor
48.	Torch
49.	Knee hammer
50.	Measuring Tape
51.	ENT examination set
52.	Reflectors(Mirrors)
53.	Weighing machine
54.	Tuning Forks
55.	Nasal speculum
56.	Laryngoscope
57.	Catheters
58.	Probes
59.	Disposable Gloves
60.	Physical balance
61.	Syringe needle destroyer
62.	HBs Ag kit
63.	HIV kit - Tridot (method by T Mitra)
64.	CT and BT kit
65.	Cell counter (haemoautoanalyser)
66.	Renal profile, LET kit, Lipid profile, Blood Sugar kit

**(F). DETAILS OF EQUIPMENT AND INSTRUMENTS REQUIRED FOR LABOUR ROOM**

S.No.	Essential Equipment and Instruments
1.	Shadowless Lamp
2.	Suction Machine (Neonatal)
3.	Oxygen Cylinder and Mask
4.	Foetal Toco Cardiograph
5.	Radiant Warner
6.	Phototherapy Unit
7.	Weighing Machine (Paediatric)
8.	Patient trolley
9.	Anaesthesia trolley
10.	Infantometer
11.	Vacuum extractor
12.	Foetal Doppler
13.	Low cavity forceps
14.	Steriliser

694 GI/13-15

15.	Machintosh rubber sheet
16.	Catguts and Thread
17.	Speculum – Sim's -Cuscos
18.	Instruments for labour and Episiotomy (Scissors, forceps, needle holders etc.)
19.	Baby tray
20.	Draw Sheets
21.	Plastic Aprons
22.	HIV kit for emergency patients
23.	Plain and Hole towels
24.	Gloves
25.	Nebuliser
26.	Foetoscope
27.	Auto Clave
28.	Drums
29.	Instrumental Trolley
30.	OT tables and head Up and head low facility
31.	Double dome Shadowless lamp
32.	Pulse Oxymeter
33.	Oxygen Cylinder
34.	Resuscitation kit
35.	Boyle's apparatus
36.	Electro Cautery
37.	MTP Suction Machine
38.	Anaesthesia Kit
39.	Blunt and Sharp Curettes
40.	Dilators set (Hegar's, Hawkins)
41.	Anterior Vaginal Wall retractor
42.	Uterine sound
43.	Volsellum
44.	MTP Suction Curette
45.	Needles
46.	Needle holders
47.	Sponge holding forceps
48.	Towel Clips
49.	Retractors abdominal (Doyle's etc.)
50.	Green armytage forceps
51.	Uterus holding forceps
52.	Kocher's forceps
53.	Artery forceps (Long, short, Mosquito)
54.	Scissors- different sizes
55.	Forceps obstetrics
56.	Tongue depressor
57.	Endotracheal tubes

58.	B.P. apparatus
59.	HSG <i>Cannula</i>
60.	Cord Cutting appliances
61.	I.U.C.D. removing hook
62.	Bladder Sound

**(G). DETAILS OF EQUIPMENT AND INSTRUMENTS REQUIRED FOR OPERATION THEATRE**

S. No.	Essential Equipment and Instruments
<b>I</b>	<b>JARAHAT</b>
1.	Spot light (Shadowless ceiling fitted)
2.	Needle holding Forceps (big-medium-small)
3.	Aprons
4.	Specimens Jar
5.	Dressing drums of Assorted size
6.	Drum stand
7.	IV Stand
8.	X-ray View Box (double)
9.	Surgeon's gown
10.	Mask and caps
11.	Gauze, cotton and Bandage
12.	Gloves of different size
13.	Cheetles Forceps
14.	Towel Clips
15.	Mosquito forceps
16.	Scissors straight (Tailor)
17.	Scissors curved of different sizes
18.	Stitch removal Scissors
19.	Dissection forceps
20.	Sinus forceps
21.	Probes – Assorted size
22.	Pointed scissors
23.	Gastric and Intestinal clamps (occlusive and crushing)
24.	Abdominal Retractors
25.	Tissue Forceps
26.	Bob Kock's Forceps
27.	Kocher's forceps
28.	Urethral Dilators
29.	Rubber catheters of Assorted size
30.	Metal Catheters

31.	Corrugated Rubber drain
32.	Suturing Needle (straight/curved) of Assorted size
33.	Surgical Thread
34.	Sponge holding forceps
35.	Right Angle cholecystectomy Forceps
36.	Stone holding forceps
37.	Proctoscope with or without illuminator
38.	Bougies (Megars)
39.	Allies Forceps small
40.	Allies Forceps Big
41.	Pile holding forceps
42.	Artery Forceps small
43.	Artery Forceps big
44.	Artery Forceps Medium
45.	Sigmoidoscope Rigid/flexible
46.	Barron Pile's Gun
47.	Laryngoscope Pediatric/Adult
48.	Boyles Apparatus
49.	Multiparameter Monitor
50.	Ambu Bag
51.	Suction machine Electrical/Manual
52.	Generator (Minimum 30 KV)
53.	Emergency light
54.	Fire Extinguisher
55.	Skin grafting knife with handle
56.	Surgical blades of different size
57.	BP Handle of different size
58.	Vertical BP Instrument
59.	Self Retaining Retractor
60.	Bone Drill Machine
61.	Bone cutter
62.	Giggly Saw
63.	Scoop
64.	Periosteum elevator
65.	Maggler Forceps
66.	E.T. Tubes of different sizes
67.	High Pressure Autoclave
68.	Fumigator
69.	Refrigerator
70.	Nitrous Oxide Cylinder

71.	Exhaust Fan
72.	X.ray view box
73.	Auto linen Washing Machine
74.	Hydrolic Operation Table
75.	Shadow less lamp ceiling
76.	Anaesthesia Trolley/Boyle's Apparatus
77.	Instrument Trolley
78.	Endotracheal Tube
79.	Ambu Bag
80.	Proctoscope with or without illumination
81.	Revolving Stool
82.	Gabriel Syringe
83.	Stretcher with trolley
84.	Mosquito forceps
85.	Piles holding forceps
86.	Needle holder
87.	BP Apparatus
88.	Suction Machine
<b>II</b>	<b>AIN (EYE):</b>
	<b>Ophthalmic Equipments/Instruments for Operative Surgery</b>
89.	Operating Microscope with Coaxial Illumination and foot control
90.	Bipolar Wet field cautery
91.	Mini Halogen Light (table mouning)
92.	Ophthalmic operation table with head rest
93.	Sterilizing box /case with mats
94.	Lens insertion forceps
95.	Keratome
96.	Barraquer wire speculum (adult/child/infant)
97.	Desmarres lid retractors
98.	Cat-paw lacrimal retractor
99.	Mueller lacrimal sac retractor
100.	Dastoor iris retractor
101.	Castro Viejo caliper
102.	MeyrhoefChalazion curette
103.	Sinsky lens manipulating hook
104.	IOL Manipulator
105.	Foreign body spud
106.	Lewis lens loop (vectis)
107.	Cystotome and spoon

694 GZ/13-16

108.	Mule Evisceration spoon
109.	Wells Enucleation spoon
110.	Iris repository (double-ended)
111.	Tooks Corneal knife
112.	Graefe Strabismus hook
113.	Jameson muscle hook
114.	Smith lens expressor
115.	Wills cautery with copper ball-point
116.	Barraquer blade braker and holder
117.	Langslacrima sac dissector
118.	Kelly Glaucoma punch
119.	West Lacrimal Chiesel
120.	Elevator (double ended)
121.	Mallet
122.	Nasal speculum adult/child
123.	Pigtail Probe with Suture holes
124.	Wilder punctum Dilator
125.	Bowman lacrimal probes
126.	Towel clamp
127.	Hartman mosquito forceps
128.	Colibri forceps 1*2 teech
129.	Mc. Person corneal forceps with tying platform
130.	Kelman Mc. Pherson angled forceps
131.	Mc. Phersons tying forceps
132.	Dressing forceps, serrated
133.	Moorfieldconjunctival forceps
134.	Fixation forceps
135.	Beer cilea (epilation) forceps
136.	Arruga capsular forceps
137.	SnellenEntropion clamp
138.	Chalazion clamps
139.	Chalazion clamps
140.	Iris scissors
141.	Westcott tenotomy scissors
142.	Vannas straight scissors
143.	De-Weckers iris scissors
144.	Strabismus scissors
145.	Enucleation scissors
146.	Barraquer needle holder

147.	Castroviejo micro needle holder
148.	Silcock needle holder with sid lock
149.	Air injection cannula
150.	Healon aspirating cannula
151.	AC was cannula
152.	Lacrimal cannula
153.	Hydrodialysis cannula
154.	J-loop cannula (rt./lt. With silicon tubing)
155.	Simcoe direct I/A cannula with silicon tubing
156.	Irrigating aspirating handle
157.	Lens dialer
158.	Superior Rectus forceps
159.	Eye wash glasses
160.	Swimming Goggles
<b>III</b>	<b>ENT-Surgical/Operative procedural Instruments</b>
161.	Aural Syringe
162.	Jobson's Aural Probe
163.	Eustachian Catheter
164.	Mastoid Retractor
165.	Mastoid Gouge
166.	Mallet
167.	Mastoid Cell seeker with scoop
168.	Nasal Foreign Body hook
169.	Nasal packing forceps
170.	Antral Trocar cannula
171.	Antral Burr
172.	Nasal Snare
173.	Freer'sseptal knife
174.	Ballinger's swivel knife
175.	Bayonet Shaped gouge
176.	Walshman's forceps
177.	Laryngeal forceps
178.	Boyle-Davis mouth gag
179.	Tongue plate with throat suction
180.	Tonsil holding forceps
181.	Tonsillar suction
182.	Tonsillar Dissector
183.	TonsillarSuare
184.	Guillotine

694 GI/13-17

185	Adenoid curette with cage
186	Peritonsillar abscess draining forceps
187	Fuller's Tracheostomy Tube
188	Steriliser box
189	Cheatel's Forceps
190	Other consumable articles like gloves, syringes, bandages etc.
191	ENT operating microscope and lens

**(H). DETAILS OF EQUIPMENT AND INSTRUMENTS REQUIRED FOR OUT PATIENT DEPARTMENT**

S. No.	Name of OPD	Equipment, Instrument, Furniture etc required as per norms of CCIM		
1.	Moalajat	X-Ray View Box		
		BP Apparatus		
		Stethoscope		
		Examination Table		
		Thermometer		
		Tongue depressor		
		Cotton balls		
		Torch		
		Measuring tape		
		Weight and height measuring stand		
		Knee Hammer		
		Washbasin		
		2.	Jarajat.	Hand washing facility
				Drainage facility
Minor OT.				
Instruments for anorectal examination				
Examination Table				
BP Apparatus				
Thermometer				
Surgical Blades				
Cotton Balls				
Gauze pieces				
X-ray viewing Box				
3.	Ain-Uzn-Anf-Halaq wa Asnan	Stethoscope		
		Cheetle's forceps		
		Torch		
		Tuning forks		
		Ophthalmoscope/fundoscope		



		Auroscope
		Examination Table
		X-Ray Viewing Box
		BP Apparatus
		Stethoscope
		Thermometer
		ENT kit
		Torch
		Bull's lamp
4.	<b>Qabalatwa Amraze Niswan</b>	Weighting machine
		Sim's speculum
		Thermometer
		Cusco's speculum
		Examination Table
		Lamp stand
		Torch
		X-Ray Viewing Box
		BP Apparatus
		Stethoscope
		Measuring tape
		Washbasin
5.	<b>Amraze Atfal</b>	Scale
		Weighing machine
		Torch
		View Box
		Thermometer
		BP Apparatus
		Stethoscope
		Examination Table
6.	<b>Ilaj bit Tadbeer</b>	As per Moalajat
		Massage table, Glass tank for Leeches, Cupping sets, Venesection set etc.

Note.- There should be proper seating arrangement for internees/students in the OPD.

P. R. SHARMA, Registrar-cum-Secy.

[ADVT. III/4/124/12/Exty.]

Note: If any discrepancy is found between Hindi and English version of "Indian Medicine Central Council (Minimum Standard Requirements of Unani Colleges and attached Hospitals) Regulations, 2013", the English version will be treated as final.